इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायन्स

सहकारिता दशक के लिए ब्लूप्रिंट

JANUARY 2013

ica

2012 International Year of Cooperatives

सहकारिता दशक के लिए ब्लूप्रिंट

यह शोध पत्र ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंटर- फॉर म्यूचुअल एंड एम्प्लॉयी ओण्ड बिजिनिस से जुड़े क्लिफ़ मिल्स एवं विल डेविस द्वारा इंटरनैशनल कोऑपरेटिव एलायंस के प्लानिंग वर्क ग्रुप के मार्गदर्शन में लिखा गया है।

प्लानिंग वर्क ग्रुप के सदस्य-गण इस प्रकार हैं-

डेम पौलिन ग्रीन
अध्यक्ष, इंटरनैशनल
कोऑपरेटिव एलायंस

स्टीफन बर्ट्रेण्ड
डेस्जार्डिंस (कनाडा)

मार्क क्रैग
कोऑपरेटिव ग्रुप (यूके)

नेल्सन कुरिया
सीआईसी इन्स्युरेंस ग्रुप (केन्या)

क्लफ़ि मल्सि

क्लफ़ि मल्सि सहकारी ,पारस्परकि एवं सदस्यता आधारति संगठनों में वधिि और शासन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने यू.के. की कई प्रमुख सहकारी रटिल समतियिों का संवधिान तैयार करने के साथ-साथ लोक सेवाओं हेतु नई सहकारति एवं पारस्परकि (म्यूचुअल) मॉडल के वकिास की दशि में व्यापक कार्य कयि है। यू.के. के सहकारति कानून को वकिसति करने में उन्होंने अहम भूमकि अदा की है।

ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर म्यूचुअल एंड एम्प्लॉयी ओण्ड बजिनिस में सीनयिर रसिर्च एसोशएिट होने के साथ-साथ वे मुटुओ में मुख्य एसोशएिट हैं तथा कैपस्टक्सि सोलसिटिर्स एलएलपी एवं कोब्बेट्स के परामर्शदाता हैं।

डॉ. वलि डेवसि

वलि वारवकि वशि्ववद्यिालय के सेंटर फॉर इंटरडसि्सीप्लनिरी मेथेडॉलोजीज में असस्टिेंट प्रोफेसर हैं । उन्होंने आर्थकि समाजशास्त्र तथा राजनीतकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना शोध कार्य कयि है। उन्होंने 'म्यूचुअलज़िम' पर अनेक पॉलसिी रपिोर्ट तैयार कए हैं जसिमें 'री इनवेंटगि दफिर्म (डमिोस,2009)' , 'ब्रगिगि म्यूचुअलज़िम बैक इंटू बजिनिस (पॉलसिी नेटवर्क,2010)' और 'ऑल ऑफ अवर बजिनिस (एम्प्लाई ओनरशपि असोशएिशन, 2012)' शामलि हैं। ओनरशपि और म्यूचुअलज़िम के बारे में मीडयि और नीतगित बहसों में उनकी नरितर भागीदारी रही है। द फिाइनेंशयिल टाइम्स, द न्यू स्टेट्समैन, प्रोस्पेक्ट, द बीबीसी तथा द न्यू लेफ्ट रव्यिू के लएि भी उन्होंने लेखन कयि है।

सतिंबर, 2012 तक वे सेंटर फॉर म्यूचुअल एंड एम्प्लॉयी ओण्ड बजिनिस के अकादमकि नदिेशक रहे। वर्तमान में इस पद पर डॉ रूथ योमन हैं जन्हिोंने इस ब्लूप्रटि को तैयार करने में सहायता की है।

वषिय सूची:

प्रस्तावना 01

इस दस्तावेज का प्रयोजन 03

ब्लूप्रन्टि कार्ययोजना का सारांश 04

अध्याय 1
भागीदारी 07

अध्याय 2
सतता 13

अध्याय 3
पहचान 19

अध्याय 4
लीगल फ्रेमवर्क 25

अध्याय 5
पूंजी 31

सारांश 35

संदर्भ 39

सहकारति की पहचान पर कथन 41

प्रस्तावना

वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा वर्ष 2012 को संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया।[1]

वित्तीय अस्थिरता के पाँच वर्ष बीतने के बाद भी 2012 की दूसरी छमाही के मौजूदा समय में विश्व की अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में संकट की स्थिति बनी हुई है और अभी भी इससे बाहर निकलने के आसार नहीं दिख रहे हैं ; विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को विकास के लक्ष्य को पाने की राह में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। अनेक देशों में सरकारें जिम्मेदारियों से पीछे हट रहीं हैं ,सामाजिक और सार्वजनिक व्यय में कटौती कर रही हैं और इस तरह नागरिकों को आर्थिक भंवर में पहले से ज्यादा असुरक्षित हाल में छोड़ दिया गया है। जबकि दूसरे अन्य देशों में आर्थिक शक्ति में नाटकीय बदलाव के कारण बढ़ती असमानता का दौर जारी है, जिसका समाज पर प्रभाव पड़ रहा है ।

अनिश्चितता और कष्ट के इस माहौल के बीच सहकारिताएं विश्व भर में नागरिकों के लिए कुछ उम्मीद और स्पष्ट दिशा प्रदान कर सकती है । उद्यम के मॉडलों में सहकारिताएं अनूठे ढंग से आर्थिक संसाधनों को लोकतांत्रिक नियन्त्रण में रखती हैं । सहकारी मॉडल वाणिज्यिक रूप से सुसक्षम है और व्यवसाय करने का एक प्रभावी तरीका है जो निर्णय प्रक्रिया में व्यापक मानव आवश्यकताओं, समय क्षितिजों और मूल्यों को ध्यान में रखता है । यह एक ऐसा तरीका है जो बहुत छोटे और बहुत बड़े स्तर पर कार्य करता है ।

विकसित करने के साथ-साथ व्यक्तिगत आत्मविश्वास और लचीलेपन की भावना पैदा कर सकती है तथा यह सामाजिक पूंजी का निर्माण करती है। सहकारी संस्थाएं दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, ये दीर्घजीवी, सतत और कामयाब होती हैं ।

यह सहकारिता क्षेत्र के लिए अवसर का एतिहासिक पल है । जब अनेक देशों में राजनीतिक संस्थाएं तेजी से बदल रही दुनिया के साथ चलने में संघर्ष कर रही हैं, यह आवश्यक हो जाता है कि नागरिक पहले से अधिक संसाधन युक्त, उद्यमशील और सहकारी बनें ताकि वे वैश्विक समुदाय के रूप में भावी समाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर सकें । सहकारिताओं के पक्ष में विरले ही कभी इतने मजबूत तर्क प्रस्तुत किये गये । किन्तु जब तक अगले कुछ वर्षों में संगठित कार्य नहीं किये जाएंगे, यह पल समाप्त हो जाएगा ।

वर्ष 2020 तक गरीबी में वृद्धि हो चुकी होगी और युवाओं की स्थिति बिदहाल हो चुकेगी तथा ग्लोबल वार्मिंग का दैनिक जीवन पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा । वर्ष 2020 तक हमें इस तरह सक्षम बनने की आवश्यकता है कि हम सहकारिता के विचार तथा लोगों की सुरक्षा, कल्याण और खुशहाली में उसके योगदान के लिए वर्ष 2012 को एक निर्णायक बिंदु के रूप में देख सकें ।

2012 अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

"सहकारिताएँ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह स्मरण दिलाती हैं कि आर्थिक सक्षमता और सामाजिक दायित्व दोनों को साथ जारी रखना संभव है। "
बैन की मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य है :

- सहकारिताओं, सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके योगदान तथा मिलेनियम विकास लक्ष्यों से संबंधित उपलब्धियों के बारे में लोक जागरूकता विकसित करना
- सहकारिताओं के गठन और उनके विकास को बढ़ावा देना
- सहकारिताओं के गठन, विकास और स्थायित्व के उद्देश्य से नीतियों, कानूनों एवं विनियमों को अनुकूल बनाने हेतु सरकारों को प्रोत्साहित करना

''सहकारिताओं के पक्ष में विरले ही कभी इतने मजबूत तर्क प्रस्तुत किये गये''

- दुनिया भर में सहकारिताओं के एक बिलियन सदस्य हैं ।
  वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट, वाइटल साइंस पब्लिकेशन, 221212012
- भारत में ग्रामीण इलाके के घरों की 67 प्रतिशत उपभोक्ता जरूरतें सहकारिताओं द्वारा पूरी की जाती हैं ।
  आईएलओ (2011) कोऑपरेटिव्स फार पीपल सेंटर्ड रूरल एग्रीकल्चर
- 40 प्रतिशत अफ्रीकी घर सहकारिता से जुड़े हैं ।
- सबसे बड़ी 300 सहकारिताओं का एकीकृत वार्षिक कारोबार वर्ष 2010 में 2 ट्रिलियन डॉलर था ।
  वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर : एक्सप्लोरिंग द कोऑपरेटिव इकोनॉमी

इस दस्तावेज़ का प्रयोजन

इस दस्तावेज़ के मसौदे पर इंटरनैशनल कोऑपरेटिव एलायंस (आईसीए) की महासभा द्वारा अक्तूबर, 2012 में मैनचेस्टर में विचार किया गया। तत्पश्चात इस संबंध में हुई चर्चा और प्राप्त टिप्पणियों (इस संशोधित पाठ में शामिल) के आधार पर महासभा द्वारा इस ब्लूप्रिंट का अनुमोदन किया गया। अब इसे अंतिम रूप में जारी किया जा रहा है।

महासभा की मंशा यह थी कि संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के द्वारा व्यवसाय के सहकारी तरीके को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की विश्वव्यापी मुहिम शुरू की जाए। इस ब्लूप्रिंट की महत्वाकांक्षी योजना "2020 विजन"- वर्ष 2020 तक व्यवसाय का सहकारी रूप बनने के लिए है ।

- आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सततता के क्षेत्र में अग्रणी
- लोगों द्वारा पसंद किये जाने वाला मॉडल
- सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला उद्यम रूप

इस महावित्तीय विध्वंस के चलते 2020 विजन के निर्माण में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की उपलब्धियों तथा सहकारिता आंदोलन द्वारा प्रदर्शित लोच को आधार बनाने का प्रयास किया गया है । इस ब्लूप्रिंट में सुझाई गई कार्ययोजना पर अमल करके 2011-2020 के दशक को भरोसेमंद विकासयुक्त सहकारिता दशक बनाने का हमारा लक्ष्य है ।

"अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष ने इस क्षेत्र के लिए एक मजबूत कार्य-बिंदु प्रदान किया है ।"

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष ने इस क्षेत्र के लिए एक मजबूत कार्यबिन्दु प्रदान किया है । इसने सहमत परिणामी घोषणाओं [2] के साथ विश्वभर में आयोजित अनेक अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों एवं शिखर सम्मेलनों के माध्यम से साझे प्रयोजन की भावना को रेखांकित किया है। इसके माध्यम से विश्वभर में सहकारिताओं द्वारा 2012 अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के प्रतीक को भी व्यापक स्तर पर अपनाया गया है । इसने नागरिक समाज, सरकार और अन्तर सरकारी निकायों में सहकारिताओं के चरित्र को सहकारिता क्षेत्र की सीमा से बाहर नई ऊंचाई तक ला खड़ा किया है ।

ये उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं किन्तु इनको उन उभरती हुई आधिपत्यवादी प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है जिनके द्वारा हमारी भविष्य की राजनीति, समाज और अर्थ-व्यवस्था को रूप दिये जाने की संभावना है ।[3] कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं -

- पर्यावरणीय क्षरण और संसाधन ह्रास
- असंतुलित वित्तीय क्षेत्र बढ़ती असमानता
- विश्व स्तर पर शासन के क्षेत्र में बढ़ता अंतर
- युवा पीढ़ी का अधिकारहीन प्रतीत होना
- राजनीतिक और आर्थिक संगठनों के अंदर विश्वास की कमी

सहकारिताएं इन महत्वपूर्ण वैश्विक समस्याओं को दूर करने की दिशा में पहले से ही योगदान कर रही हैं । किन्तु उचित समर्थन, बेहतर समझ एवं मान्यता से वे और अधिक योगदान कर सकती हैं । अतः मानते हैं कि हमारी प्रमुख प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों को सहकारी उद्यम प्रणाली से अवगत कराना है ताकि लोगों को

सततता युक्त सहकारिताओं की स्थापना, वित्त पोषण और विकास हेतु औजार एवं समर्थन मुहैया कराया जा सके तथा इसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके ।

इस प्रकार इस दस्तावेज का प्रयोजन सहकारिता दशक के लिए प्रस्तावित ब्लू प्रिंट तैयार करना और आने वाले वर्षों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करना है । आई.सी.ए., राष्ट्रीय निकायों, क्षेत्र समूहों, सहकारी समितियों और व्यक्ति सदस्यों के लिए अब चुनौति इस ब्लू प्रिंट को आगे कार्यान्वित करने की है ।

ब्लूप्रिंट कार्ययोजना का सारांश

वैश्विक सहकारिता के भविष्य संबंधी कार्यनीति के आरंभिक बिन्दु की बात करें तो वह सहकारिताओं द्वारा बाहरी दुनिया के समक्ष किया जाने वाला वह दावा है जो यह कहता है कि व्यापार करने का उनका तरीका बेहतर है तथा वह इस समय अधिपत्य वाले एकल मॉडल की तुलना में वैश्विक अर्थव्यवस्था को अधिक प्रभावशाली संतुलन प्रदान करता है ।

- सहकारिताएं बेहतर हैं क्योंकि वे व्यक्तियों को स्वामित्व के जरिए भागीदारी[4] प्रदान करती हैं जिससे वे स्वभावतः अधिक कार्यशील व उत्पादनशील होते हैं तथा समकालीन दुनिया के लिए अधिक उपयोगी और प्रासंगिक हैं । सदस्यों के अंदर आपसी भागीदारी तथा शासन को नई ऊंचाई तक ले जाना इसका लक्ष्य है ।

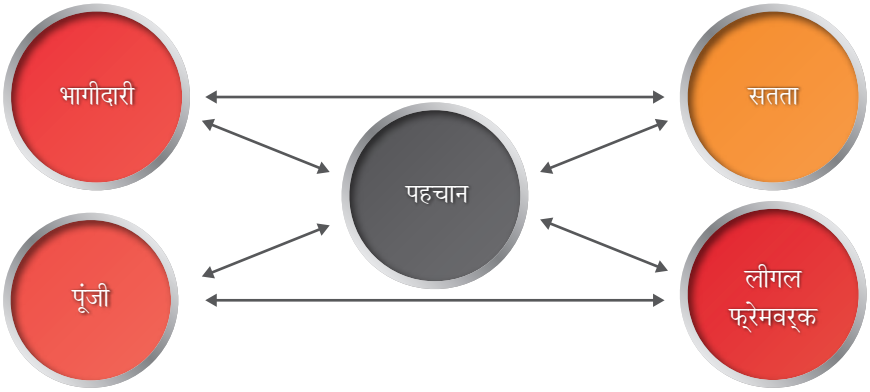

- सहकारिताएं बेहतर हैं क्योंकि उनका व्यापारिक मॉडल अधिक समृद्ध आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सततता का निर्माण करता है ।

- सहकारिताएं बेहतर हैं क्योंकि वे ऐसे व्यापारिक मॉडल हैं जो आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में लोगों को प्रमुखता देती हैं और विश्व अर्थव्यवस्था में समानता की भावना को और अधिक बढ़ावा देती हैं ।

- यहां लक्ष्य अपनी बाह्य पहचान विकसित करना है ।

- अध्याय-1 (भागीदारी) और अध्याय-2 (सततता) से यह जानकारी मिलती है कि क्यों सहकारिताएं व्यापार करने के बेहतर तरीके पेश करती हैं । अध्याय-3 में आज के लिए सहकारिता संबंधी विचारः सहकारिता होने का क्या अर्थ है और इसके परिभाषी गुण या "इरसिबिल कौर" क्या हैं, को असरदार ढंग से बताया गया है ।

- इसे पहचान के नजरिए से देखा जाता है जो मूल मान्यताओं (कोर वैल्यूज) और सहकारिता के सिद्धान्तों से परिभाषित होता है । इसे शक्तिशाली और स्पष्ट संदेश के माध्यम से पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहकारिताओं को प्रत्येक व्यक्ति चाहे नीति निर्माता हो या फिर आम जनता जानता और समझता है । अतः लक्ष्य सहकारिता के लिए संदेश बनाना और सहकारी पहचान हासिल करना है ।

- सहकारिता मॉडल की अंतरंग और चिरस्थायी मान्यताओं को स्पष्ट रूप से स्थापित कर लेने तथा एक विशिष्ट सहकारी पहचान और विचार का वर्णन करने के बाद अध्याय-4 और -5 की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है जिसमें उन तत्वों की बात की गई है जो सहकारिताओं को सुविधा प्रदान करते हैं अथवा बाधाएं उत्पन्न करते हैं ।

- प्रत्येक(अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सहकारिता को एक कानूनी ढांचे में रखा गया है । यह ढांचा सहकारिताओं की संभाव्यता और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । इस ब्लूप्रिंट के अंतर्गत सहकारिता के विकास हेतु मददगार कानूनी ढांचे को सुनिश्चित करने की बात की गई है ।

- सहकारिताओं को यदि स्थापित करना है, विकसित होना है और फलना-फूलना है तो उसे पूंजी की जरूरत होगी । यहां लक्ष्य सदस्यों का नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए विश्वसनीय सहकारी पूंजी हासिल करना है ।

- इस ब्लूप्रिंट कार्यनीति के अंतर्गत पांच विषय हैं जो परस्पर जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को आच्छादित करते हैं । इन्हें निम्नलिखित चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है -

coop
B
FÖR HUS OCH
In
In

अतः विजन-2020 को आगे बढ़ाने हेतु ब्लूप्रिंट कार्य नीति के अंतर्गत इन 5 महत्वपूर्ण व परस्पर संबद्ध विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें से प्रत्येक के संबंध में कार्यान्वयन की नीति भी स्थापित की गई है। आई.सी.ए. इसके सदस्यों तथा समान्यतः सहकारिता क्षेत्र के लिए कार्यसूची की रूपरेखा निर्धारित की गई है।

1. सदस्यों के अंदर **भागीदारी** तथा शासन को नई उँचाई तक ले जाना।

2. सहकारिता को **सततता** के निर्माणकर्ता के रूप में स्थापित करना।

3. सहकारिता का संदेश बनाना तथा सहकारी **पहचान** हासिल करना।

4. सहकारिता के विकास के लिए **मददगार कानूनी ढांचा** सुनिश्चित करना।

5. सदस्यों का नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए विश्वसनीय सहकारी **पूंजी** हासिल करना।

इनमें प्रत्येक विषय आई.सी.ए., इसके सदस्यों तथा व्यापक सहकारिता क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। इस दस्तावेज का प्रत्येक अध्याय ऐसे कुछ संभव और सांकेतिक कार्रवाई के साथ समाप्त होता है, जिन्हें इन लक्ष्यों को पाने हेतु उठाया जा सकता है। यह आईसीए इसके बोर्ड, सदस्यों, क्षेत्रों, संगठनों और उनके तंत्रों के ऊपर है कि वे उन कार्रवाईयों के बारे में निर्णय करें जिनकी कार्यनीति के कार्यान्वयन तथा सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक सहित अनेक व्यापक कारकों के संदर्भ में प्रगति और प्रभाव का नियमित रूप से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इन विषयों पर एक साथ काम करके सहकारिता समुदाय विजन-2020 के लक्ष्य की ओर सामूहिक रूप से आगे बढ़ सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के पश्चात यह अभीष्ट है कि इस ब्लूप्रिंट के जरिए आई.सी.ए. और उसके सदस्यों को महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ अपनी भावी गतिविधियों का संचालन करने हेतु स्पष्ट दिशा मिलेगी।

1. भागीदारी

"सदस्यता एवं शासन के अंदर भागीदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएँ"

सदस्यों की लोकतान्त्रिक भागीदारी सहकारी व्यवसाय प्रणाली की सर्वाधिक ख्यात विशेषता है। निवेशकों के स्वामित्व वाले व्यवसायों के विपरीत इसका बड़ा हिस्सा सहकारिता की पहचान है।

सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत हर एक सदस्य की अपनी भूमिका होती है, जो उपभोक्ता, कामगार और उत्पादक के बीच के बुनियादी आर्थिक रिश्ते से आगे तक जाती है। सहकारिता में सदस्यों का सामूहिक स्वामित्व होता है और वे एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था के माध्यम से इसके शासन तंत्र में भागीदारी करते हैं। व्यक्तिगत रूप से उन्हें सूचना के अधिकार के साथ-साथ अपनी बात कहने और प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार है। इस ब्लूप्रिंट में हम इन सभी अधिकारों के लिए शॉर्ट हैंड के रूप में 'भागीदारी' शब्द का प्रयोग कर रहें हैं ।

इस बात के कहने के लिए पुख्ता सबूत हैं कि यदि संगठन के अंदर उपभोक्ताओं और कामगारों को अपनी बात कहने की छूट दी जाए तो इससे व्यवसाय के बेहतर, कुशल और जिम्मेदार रूप सामने आते हैं।[6] उपभोक्ता और क्रेडिट सहकारी समितियां गरीबी में कमी लाती हैं तथा ये कौशल विकास, शिक्षा एवं लिंग समानता के क्षेत्र में सकारात्मक योगदान करती हैं।[7] कामगारों की सदस्यता के माध्यम से कामगारों की उच्च भागीदारी एवं अधिक सक्षम निर्णय प्रणाली सुनिश्चित होती है क्योंकि सहकारिताओं द्वारा पोषित विशिष्ट लोकतान्त्रिक संरचनाएँ व्यक्तिगत भागीदारी को समर्थ बनाती हैं ताकि वे लोकतान्त्रिक तरीके से वैध प्राधिकरण के जरिये उद्यम के भीतर वास्तविक प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम हो सकें। कार्यस्थल पर लोकतान्त्रिक भागीदारी की सहकारी परंपरा व्यक्तियों को उनके समुदाय एवं समिति में भागीदारी हेतु कौशल व आत्मविश्वास विकसित करने में सक्षम बनाती है।[8] सहकारिताएँ ऐसी स्थली हैं जहां यह जानकारी मिलती है कि किसी प्रकार लोकतान्त्रिक निर्णय की प्रक्रिया में भागीदारी की जाती है और इस प्रकार वे अपनी आर्थिक अनिवार्यता से बढ़कर लोक हित का कार्य करती हैं। इस प्रकार सहकारिताओं में लोकतान्त्रिक भागीदारी के द्वारा बेहतर व्यावसायिक निर्णयों के साथ-साथ समुदायों को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलती है।

सहकारिता के सात सिद्धान्त[9] – अनुप्रयुक्त

सहकारी उद्यम **लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इसे छोड़ सकते ह**	सहकारी व्यक्ति यदि मैं अन्य लोगों की जरूरतों को लेकर खुली दृष्टि रखता हूँ और मैं उनके साथ इस तरह व्यवहार करता हूँ कि वे मुझसे सहयोग कर सकें तो मैं अपनी और उनकी साझी रुचि को जान सकूँगा।
आपकी आवाज सुनी जाएगी	चूंकि जो घटित हो रहा है उसमें मेरी बराबर की भूमिका है, मैं सुनता हूँ और खुलकर व ईमानदारीपूर्वक अपनी बात रखता हूँ।
पूंजी का नियंत्रण आपके हाथों में	हमलोग साथ मिलकर जो काम करने का प्रयास करते हैं, उसपर मेरी पैनी नजर रहती है और मेरे निर्णय भी इसके द्वारा निर्देशित होते हैं।
साथ रहकर आप स्वायत्त हैं	मैं औरों की सहायता करता हूँ ताकि वे अपनी सहायता कर सकें। वे भी उसी प्रकार मेरी सहायता करते हैं जिससे कि साथ मिलकर हम भविष्य के और अधिक नियंत्रण में रहें।
आप अपना विकास कर सकते हैं	मैं अपने आसपास के लोगों से सीखने में रुचि रखता हूँ ताकि मैं उनके साथ और अधिक सहयोगी तरीके से पेश आ सकूँ।
उनके साथ सहयोग करके आप अधिक सफल हो सकते हैं जो यह जानते हैं कि सहयोग कैसे किया जाता है	नई व्यवस्था में अन्य लोगों के साथ सहयोग करने के लिए मैं मौकों की तलाश करता हूँ।
आप अपनी सफलता जारी रखते हुए अपने समुदाय के लिए कुछ कर सकते हैं	मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि मैं एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हूँ तथा मैं वह हर चीज करने के लिए समर्पित हूँ जिससे इसे बेहतर बनाया जा सके

मेरा फायदा – हमारा फायदा

जनि सामाजकि नेताओं ने पछिली शताब्दयिों के दौरान सहकारतिाओं की स्थापना की, उनका एक स्पष्ट नजरयिा था। वे यह देख सके थे कि लोगों के साथ काम करके तथा उन्हें काम में साझीदार बनाकर वे सामान और सेवाओं अथवा कार्य को पाने की व्यक्तगित एवं सामूहकि दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे। भागीदारी उनके लिए अपने आप में अंत न होकर अंत का साधन है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वे उसमें शामलि या जुड़ गए थे। यह उनके द्वारा सहकारति स्थापति करने तथा उनसे बेहतर कार्य-नष्पिादन करवाने की प्रक्रयिा का हस्सिा था।

वकिसति अर्थव्यवस्थाओं का समसामयकि संसार बहुत अलग है। अनेक मामलों में जहां संपर्क की कमी थी, उसकी जगह आधुनकि परविहन प्रणाली, प्रतस्पिर्धी आपूर्तकिर्ताओं की बहुलता और हाल के समय में आए शक्तशिाली इन्टरनेट के माध्यम से ढ़ेर सारे नए वकिल्प खुल गए हैं। आज उपभोक्ता संस्कृति का दौर है। यह न केवल सामुदायकि स्तर पर स्वयं सहायता संबंधी पहल की आवश्यकता खत्म करती है बल्कि व्यक्ति के स्तर पर इसकी प्रवृत्ति में उदासीन, आत्मसंतुष्ट या फरि नरिा आलसी बनाती है । यह नागरकि भागीदारी को नरिुत्साहति करती है और नजिी सुख व संतुष्टि को प्रोत्साहन देती है ।

वैश्वकि वित्तीय संकट और अपने नागरकिों की आवश्यकता को पूरा करने में वकिसति अर्थ व्यवस्थाओं और उनकी संस्थाओं की वफिलता ने नाटकीय रूप से आज के भूपटल को बदल कर रख दयिा है ।

बढ़ती असमानता तथा वाणज्यिकि, सरकारी और धार्मकि संस्थाओं के प्रति घटते वशि्वास के बीच बैठे रहना और कसिी दूसरे व्यक्ति का इंतजार करना जो समस्या हल कर दे, इसमें अब समझदारी प्रतीत नहीं होती । वैश्वकि रुझानों के वशि्लेषण से यह पहले ही पता चल चुका है कि -- पहले तीन वैश्वकि रुझानों में से एक "व्यक्तयिों का सशक्तकिरण, जो एकल मानव समुदाय में अपनापन का भाव जगाता है। "[10]

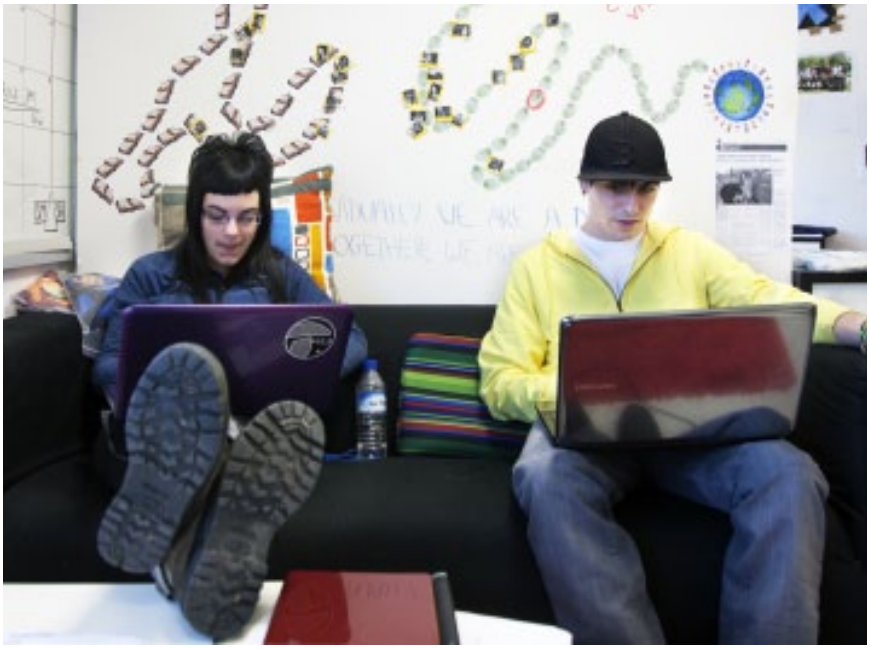

परविर्तन के चालक

- वशि्व स्तर पर मध्य वर्ग का आवर्भिाव तथा अनगनित नेटवर्कों के माध्यम से इनका आपसी जुड़ाव । परणिामतः नागरकि अपनी पुरानी पीढ़ी की तुलना में अपने भवषि्य हेतु अधकि बड़ी भूमकिा चाहते हैं ।
- इस बात को लेकर बढ़ती जागरुकता कि विभिन्नि देशों में लोगों की मांगे और चतिाएं उनकी साझी आकांक्षाओं और साझी शकिायतों के साथ आपस में मलि रही है । यह स्थति पिब्लकि गुड्स प्रदान करने की सरकारों की क्षमता के बलि्कुल उलट होगी, खासकर उनमें जो जीवन स्तर में सुधार लाने से संबंधति है। परणिामस्वरूप अपेक्षाओं का फासला वकिसति हो रहा है ।
- नानीतकि परदृिश्य में प्रत्यक्ष भागीदारी हेतु सविलि सोसाइटी का बढ़ता दबाव । अधकि भागीदारी और अधकि जानकारी के साथ -साथ आकांक्षाओं का बढ़ता फासला तनाव, वद्रिोह और द्वन्द्व की ओर ले जा सकता है । 2030 के अनेक शक्तशिाली कुलीन के वर्ष 2011 के युवा आंदोलनों के नायकों के बीच से ही वकिसति होने की संभावना है । ये प्रतनिधि लोकतंत्र की समस्याओं से वाकफ़ि हैं । .

यह एक बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य है। युवाओं का मोहभंग और उनकी गैर भागीदारी पहले ही प्रकट हो चुकी है क्योंकि वे उन संस्थाओं और प्रणालियों के बारे में जान चुके हैं जो उन्हें विरासत में मिला है। वे तत्काल जनित आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनसे भी वे वाकिफ़ हैं। ("द ग्रेजुएट विथ नो फ्यूचर [11]") स्पेनिश शहर लॉस इंडिग्निडोस से लेकर विश्वव्यापी 'ऑक्यूपाय मूवमेंट' में जो कुछ है उसे ही एक अमेरिकी दार्शनिक ने 'लोकतांत्रिक जागरण' [12] की संज्ञा दी है।

"भागीदारी एक बार फिर सहकारिता क्षेत्र की सर्वाधिक मूल्यवान धरोहर बन गई है"

इस संदर्भ में व्यापक लोकतांत्रिक भागीदारी सहित भागीदारी का अपने आप में अन्त हो जाता है। यह चंद कुलीनों के हाथों में जमा हुई शक्ति के प्रतिकार का माध्यम बन जाती है। इसके साथ ही यह पुरानी पीढ़ियों के दहते प्रतीत हो रहे पुराने तौर-तरीकों को चुनौती देने का भी माध्यम है। यह व्यक्तियों को इस लायक बनाती है कि उनका ऐसी चीजों पर कुछ प्रभाव हो जो उनके जीवन को प्रभावित कर रही है। इसके लिए संस्थाओं की पूरी शृंखला, जिससे व्यक्ति वर्तमान में अपने को बहिष्कृत महसूस करता है और जिसमें किसी प्रकार की वास्तविक जिम्मेदारी का भी अभाव दिखता है, में लोकतांत्रिक भागीदारी की आवश्यकता है। इसलिए भागीदारी एक बार फिर से सहकारिता क्षेत्र के सर्वाधिक मूल्यवान धरोहर के रूप में स्थापित हो रही है।

परन्तु युवाओं में भागीदारी के लिए जो संभावनाएं और उम्मीदें हैं वे हाल के वर्षों में नाटकीय रूप से बदल गई हैं। [13] हाल के वर्षों में संघों के ढ़ीले-ढ़ाले और नेटवर्क्ड रूप में वृद्धि देखने में आई है, जिसमें 'सदस्य' और 'गैर सदस्य' का बटवारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। डिजिटल क्रांति, सोसल मीडिया और 'उत्तर अफसरशाही' शासन के उदय से अधिक क्षैतिज संगठन और पारदर्शिता की शुरूआत होती है।

सहकारिताओं को अपनी मत सदस्यता की परिभाषा को छोड़ने की आवश्यकता नहीं हैं और उन्हें इसे हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। किन्तु जब तक वे भागीदारी और संबद्धता की नई संभावनाओं के लिए अपने द्वार खुले नहीं रखते हैं और नवीकरण के इच्छुक नहीं रहते, वे नई पीढ़ी के सदस्यों को प्रेरित और संबद्ध करने का अवसर खो देंगे। इसके अतिरिक्त यह दोनों ही आंदोलनों - नए नेटवर्क आधारित आंदोलन यथा- 'ऑक्यूपाइ' तथा मुनाफा केंद्रित कार्य जिसमें स्रोता और उपभोक्ता नए मेल-जोल के रूप से जुड़े होते हैं, की तुलना में धीमा और कम प्रतिवादी प्रतीत होता है।

चन्द अर्थव्यवस्थाओं में भी भागीदारी की क्रिया का विकास हो रहा है। इस प्रकार के सहकारी संगठन विशेषकर लोकसेवा के क्षेत्र में मौजूद स्वास्थ्य और सामाजिक देख-भाल, नई प्रौद्योगिकियों में विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा एवं अन्य हरित प्रौद्योगिकियों तथा कृषि क्षेत्र की सुदूर सहकारिताओं एवं अन्य सहकारिताओं में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु मोबाइल प्रौद्योगिकी और पोर्टेबल वाई-फाई का सर्जनात्मक उपयोग इसके अंतर्गत शामिल है।

इन संगठनों में प्रयोक्ता, कामगार और अन्य साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वे बेहतर व्यावसायिक दक्षता हासिल कर सकें। साझीदारीपूर्ण भागीदारी में इनके अलावा विशेष क्षेत्रों (यथा-देखभाल करने वाले, माता-पिता, स्थानीय निवासी, स्थानीय विशेषज्ञ समूह) के अन्य महत्वपूर्ण समूह जुड़े हुए हैं। साझादारीपूर्ण भागीदारी व्यवसाय की अधिक लचीली और प्रभावी पद्धति की खोज हेतु मंच प्रदान करती है। यह संगठन की खुद की डिजाइन हेतु सह- उत्पादन का विचार अन्तः स्थापित करती है तथा इससे इन्हें एकल हित वाले परंपरागत व्यवसायों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल जाती है। [14]

खुद आई.सी.ए. के संबंध में भी जमीनी स्तर पर भागीदारी अहम भूमिका अदा करती है। जी-20 जैसे शासन के नए केन्द्रों का बढ़ता महत्व सरकार के स्तर पर शक्ति के चट्टानी प्लेटों के खिसकने का एक आयाम है।

चूंकि विश्व की विशालतम समस्याएं साझे समाधान की मांग करती हैं, अतः बहुआयामी संस्थाओं का महत्व बढ़ जाता है। आई.सी.ए. ऐसी ही एक संस्था है। यह अपने अस्तित्व तथा अपनी वैद्यता और प्राधिकार के लिए विश्व भर में फैली अपनी सहकारिताओं के एक बिलियन लोगों की जमीनी स्तर की सदस्यता तथा अपने राष्ट्रीय निकायों में सहकारिताओं की भागीदारी की ऋणी है। अतः जमीनी स्तर पर भागीदारी को पोषण प्रदान करने से मुख्यधारा के सहकारी संगठनों तथा आई.सी.ए. जैसे प्रतिनिधि निकायों दोनों की वैधता और प्राधिकार को मजबूती प्रदान करते हैं।

"जी-20 जैसे शासन के नए केन्द्रों का बढ़ता महत्व सरकार के स्तर पर शक्ति के चट्टानी प्लेटों के खिसकने का एक आयाम है।"

लक्ष्य

यहां लक्ष्य सदस्यों के अंदर भागीदारी और शासन को नई उँचाई तक ले जाना है और ऐसा करने के लिए भागीदारी के व्यावहारिक पहलुओं को प्रमुखता देता है ।

- युवा प्रौढ़ और युवा लोगों पर विशेष रूप से और सीधे तौर पर ध्यान केंद्रित करना संबंध बनाने और संबंधों को बनाए रखने के उनके तौर-तरीकों का पता लगाना तथा इस बात पर विचार करना कि क्या भागीदारी और जुड़ाव के स्थापित परंपरागत तरीकों को अपनाया जा सकता है और क्या उन्हें अपनाए जाने की आवश्यकता है । सहकारिता क्षेत्र की आवश्यकता है कि वह युवाओं को सहकारिता में सच्ची भागीदारी करने तथा इसके भविष्य को संवारने में मदद करने की खातिर आमंत्रित करे तथा उनका सच्चे दिल से स्वागत करे । इस ब्लूप्रिंट के कार्यान्वयन की योजना प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए । इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रश्नों पर विचार करना शामिल है । क्या नई पीढ़ी सहयोग हेतु ऐसा कोई अपना तरीका विकसित कर रही है, जिसे स्थापित सहकारी क्षेत्र सीख सके और उसे अपना सके ? क्या सहकारिताएं युवाओं के लिए सबसे उपयुक्त पहुंच बिंदु मुहैया करवा रही है ? क्या वे युवाओं के लिए स्थान अथवा मंच उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिबद्ध हैं तथा क्या वे भविष्य संवारने हेतु उन्हें सक्षम बना रहे हैं ? क्या वे इसके लिए सही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ?

- लोकतांत्रिक भागीदारी, जुड़ाव एवं संबद्धता के क्षेत्र में मौजूद प्रमुख इनोवेशन तथा सर्वोत्तम प्रणालियों की पहचान, प्रसार एवं अनुपालन । इसके अंतर्गत संप्रेषण, निर्णय-प्रक्रिया, मिलन (दोनों-भौतिक और अभासी) एवं खुलापन शामिल है । सदस्य लाभ एवं प्रोत्साहन के जरिए भागीदारी को बढ़ावा देने, बनाए रखने और विकसित करने के तरीकों का पता लगाना भी इसी के अंतर्गत आते हैं ।

- सदस्यता कार्ययोजना को अपनाने हेतु सभी सहकारिताओं का समर्थन हासिल करना तथा उन्हें वार्षिक आधार पर रिपोर्ट करना । चूंकि सहकारिताएं विविध एवं व्यापक समुदायों के बीच कार्य करती हैं, ऐसे में प्रतिनिधि आधारित सदस्यता प्राप्त करने हेतु कतिपय मानक कायम करने में सहकारी क्षेत्र है - पहला प्रतिरक्षात्मक रूप से ताकि "विशिष्ट" दिख सके और दूसरा सक्रिय रूप से ताकि मानव आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्ट के साथ-साथ व्यवसाय को भी बढ़ाया जा सके । सदस्यता विकास के क्षेत्र में उत्तम व्यवहार केवल 5वें सहकारिता सिद्धान्त (शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सूचना) एवं 7वें सहकारिता सिद्धान्त (समुदायों के प्रति चिन्ता) तक सीमित नहीं है बल्कि सहकारिताओं को भी अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित करने तथा संगठन के अन्य रूपों से अपने को अलग प्रस्तुत करने के लिए कुछ हद तक इसकी तलाश करनी चाहिए ।

- इस बात को ध्यान में रखते हुए परंपरागत सदस्यता के प्रतिमानों की खोज करना कि किस प्रकार भागीदारी के अन्य इनोवेटिव और परम्परागत रूप (यथा-टिप्पणी, संवाद व वाद-विवाद, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ाव) सदस्यता में दखल देते हैं अथवा दे सकते हैं, तथा क्या भागीदार के विभिन्न स्तर (उदाहरण के लिए - सदस्य, समर्थक, अनुयायी) इस संदर्भ में उपयुक्त हैं अथवा नहीं ।

- सह-उत्पादन और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणालियों सहित कार्य संगठन के संदर्भ में इनोवेशन हेतु उनकी लीडरशिप हासिल करना । निर्णय प्रक्रिया और सूचना-साझेदारी में कर्मचारी-सदस्य की भागीदारी के फायदे के माध्यम से सहकारिताएं निवेशक के स्वामित्व वाली और निजी कंपनियों के प्रतिस्पर्धी दबाव का सामना कर सकती हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए ।

- एक अलग पहल के रूपों में इसे पूंजीफ्लो के विषय से जोड़ते हुए पूंजी प्रदाताओं के लिए भागीदारी के ऐसे सीमित व पृथक रूपों की खोज करना जो सहकारिता की प्रकृति को कमतर बनाने अथवा क्षति पहुंचाने का काम न करें ।

- इसे आई.सी.ए. द्वारा बढ़ाए जाने हेतु महत्वपूर्ण और विधिसम्मत दोनों ही लक्ष्य के रूपों में जाना जाता है । यह इसकी भूमिका का अहम हिस्सा है । सहकारिताएं अपना ध्यान अपने व्यवसाय-संचालन और उन लोगों की आवश्यकताओं पर केंद्रित करती है जिनकी वे सेवा करती हैं । यह राष्ट्रीय निकायों और आई.सी.ए. की भूमिका है कि वह ऐसा गतिविधियां शुरू करें जिनसे लंबे समय में सहकारिताओं को समर्थन मिले। उन्हें ऐसे काम करने चाहिए जिनसे सफल, सतत सहकारिताओं के निर्माण में सहायता मिले तथा जिससे सहकारी बंधुओं को भरण-पोषण और प्रशिक्षण मिल सके क्योंकि वे ही उनके दिन-प्रतिदिन का व्यवसाय करते हैं।

इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

जैसा कि निम्नलिखित निष्कर्षों में आगे और स्पष्ट किया गया है, कार्यान्वयन की योजना बनाने की जिम्मेदारी पूरे सहकारिता क्षेत्र की है । तथापि, कुछ विचार, जो आईसीए के अंदर और तत्काल हुई चर्चा के दौरान पहले ही उभर कर सामने आए हैं, उनके बारे में बगैर परिप्रेक्ष्य के अथवा इस अवस्था में प्रतिबिंध लगाए बिना, संकेत करने हेतु निम्नलिखित विचार प्रस्तुत है

संभव और निर्दिशात्मक कार्रवाई

- सहकारिता क्षेत्र के भीतर सहकारिता बंधुओं को 'ज्वाइन' करवाने के लिए नए तरीकों को पता लगाना ताकि सहकारिता बंधुओं का अधिक संयोजित तंत्र बनाया जा सके ।

- सर्वोत्तम व्यवहार के बारे में सूचनाएं जुटाना ; सर्वोत्तम विचारों का पता लगाना और उसे साफ करना, उम्र और लिंग जैसे क्षेत्रों को शामिल करना, नकारात्मक और नुकसानदायी प्रवृत्तियों की पहचान करना, घटिया व्यवहारों का खुलासा करने में मदद करना और उसमें सुधार हेतु तकनीक और औजारों का विकास करना । ऐसी सूचनाएं जुटाना जो यह प्रदर्शित करें कि सर्वोत्तम व्यवहार के ये उदाहरण किस प्रकार व्यापक संकेतकों के रूप में **सशक्त कार्यनिष्पादन** से सकारात्मक रूप से जुड़े हैं । इन संकेतकों के अंतर्गत वित्तीय सफलता, कर्मचारी संबद्धता, सामाजिक संबद्धता और पर्यावरणीय सततता आते हैं ।

- सहयोगी एवं घनिष्टात्मक गतिविधियों के संबंध में युवा पीढ़ी की प्रेरणा का जायजा लेने हेतु युवाओं और **सोशल मीडिया** उद्योग के साथ काम करना ; किस प्रकार संप्रेषण और रिश्तों में परिवर्तन हुए हैं तथा वे ऑन लाइन और ऑफ लाइन दोनों ही माध्यमों में परिवर्तित हो रहे हैं ; उन व्यवहारों का परीक्षण करना जो हाल के आंदोलनों में विकसित हुए हैं ।

"amplify the co-operative voice, such as through a leadership roundtable"

2. सततता

"सहकारिताओं को सततता निर्माता के रूप में स्थापित करें"

निवेशकों के स्वामित्व वाला व्यावसायिक मॉडल वर्तमान में आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से असततता के संकट से गुजर रहा है । मौजूदा वित्तीय संकट दीर्घकालिक संभावना के स्थान पर अल्पकालिक फायदे को अधिक महत्व देने के दुष्परिणाम का आदर्श उदाहरण है । पिछले तीन दशकों के प्रभुत्वशाली पूंजीवादी मॉडल के द्वारा असमानता के स्तर में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप "सामाजिक पूंजी" और कल्याण के स्तर में गिरावट आई है ।[15] इस बीच पीएचसीज द्वारा 'शेयरधारक मूल्य ' की तलाश में अक्सर पर्यावरणीय सततता की बलि चढ़ा दी जाती है, जैसा कि मैक्सिको के बी.पी. गल्फ के रिसाव के मामले में उजागर हुआ था (नीचे बॉक्स देखें)

ऐसे संकट उस व्यावसायिक मॉडल से उत्पन्न होते हैं जो वित्तीय मुनाफे को मानव आवश्यकता से अधिक महत्व देता है । यह ऐसा मॉडल होता है जो फायदे का निजीकरण करता है और उसके बाद घाटे का सामाजीकरण करता है । जैसा कि हावार्ड बिजनेस स्कूल के गुरू माइकेल पोर्टर का मानना है कि भविष्य वैसे व्यवसाय का है जो उस 'साझे मूल्य' में निवेश करता है जो ग्राहकों, पर्यावरण, कर्मचारियों और भविष्य पर होने वाले प्रभावों के प्रति विधिवित जिम्मेदारी लेता है।[16]

"सामान्य अर्थ में सततता निर्वाह करने, बनाए रखने अथवा टिकने की क्षमता है । 1980 के दशक से मानव सततता वैश्विक खिदमतगारी एवं संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन की दिशा में पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक आयामों के एकीकरण से संबद्ध रही है"[17]

सहकारिताओं ने हमेशा यह निर्दिष्ट किया है कि लोग इतने समर्थ हों कि बिना शोषण के गुड्स और सेवाओं तक उनकी पहुँच हो । इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक मूल्यों की श्रेणी के अनुरूप व्यापार किया जाए जिसके आधार पर आज हम इसे सततता कहेंगे । मानव आवश्यकता को केन्द्र में रखते हुए सहकारिताएं आज के सततता संकट का प्रतिवाद करती है तथा 'साझे मूल्य' का विशिष्ट रूप प्रस्तुत करती है । वस्तुतः सहकारिता सततता की सामूहिक तलाश है । सहकारिताएं किसी एक स्टेकधारी के फायदे को बढ़ाने की बात न कर अनेक स्टेकधारियों के फायदे को बढ़ाने की बात करती है । अतः आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सततता का निर्माण विकासशील सहकारी क्षेत्र के लिए प्रेरणा और औचित्य का स्रोत होना चाहिए । इस ऐतिहासिक पड़ाव पर उस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करता है कि क्यों सहकारिताएं आवश्यक और लाभकारी हैं। वस्तुतः लागत और लाभ (वर्तमान और भावी) की पूरी श्रेणी को ध्यान में रखें तो हम पाते हैं कि सहकारिताएं निवेशकों के स्वामित्व वाले व्यवसाय की तुलना में अधिक प्रभावी हैं ।

आई.सी.ए. को चाहिए कि वह सहकारी अर्थव्यवस्था के ऐसे विजन की रूपरेखा तय करने में अग्रणी भूमिका अदा करे जो दीर्घकालीन परिणामों और बिखरे हुए लागत/फायदे को महत्व दे । इसके साथ-थसाथ सहकारिता क्षेत्र से बाहर के सर्वोत्तम चलन एवं विशेषज्ञता को भी अपनाने की आवश्यकता है ताकि सहकारिताएं समाज के लिए जिन मूल्य रूपों का निर्माण करती हैं उन्हें जोड़ा और मापा जा सके । पूंजीवाद के प्रभुत्वशाली मॉडल द्वारा भी नाटकीय रूप से इसका अल्प-उत्पादन किया जाता है । किस प्रकार इसे किया जा सकता है ? इसको लेकर इस अध्याय में कार्य योजना तैयार की गई है ।

तेल के कुएं धसने से हुई 11 कामगारों की मौत और 4.9 मिलियन बैरल तेल के रिसाव की घटना हमारी स्मृति से दूर होती जा रही है । यह अल्पकालिक पर्यावरणीय क्षति वैसी आपदा नहीं थी जैसी महसूस की गई थी,लेकिन इस रिसाव के भोजन-चक्र में प्रवेश के माध्यम से खाड़ी के लोगों के जीवन पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों की जानकारी मिलना अभी बाकी है । तथापि, पिछले वर्ष की रिपोर्ट और इस हादसे के विषय के ऊपर सालाना प्रकाशित होने वाली पुस्तकों में दिये गये आकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि तेल और गैस उद्योग भी उतने ही लापरवाह और गैर-जिम्मेवार हैं जितने कि वे नामी-गिरामी बैंक जिनके कारण 2008 का आर्थिक संकट आया था । बी.पी. में हुए हादसे ने भी उन्हीं समस्याओं यथा- ढुलमुल सरकारी विनियम, जोखिम के बावजूद कारपोरेट मुनाफा, वित्तीय पतन को हवा देने वाले प्रैस आदि की और इशारा किया है । बड़े बैंकों और बड़ी तेल कंपनियों में आकार की समानता के साथ-साथ अन्य समानताएं भी हैं ।
'व्हाट हैपेंड ऐट मकांडो वेल', न्यू यॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स, 29 सितम्बर, 2011

लक्ष्य

यद्यपि कुछ स्थानीय अपवाद हैं, वर्तमान में 'सततता' (सस्टेनबिलिटी) ऐसा 'पद' नहीं है जिसे सहकारिता के क्षेत्र में सर्वव्यापी मान्यता मिली हो । आज इस बात की जरूरत है कि वर्ष-2020 तक सहकारिता को सततता के निर्माताओं के रूप में स्थापित किया जाए । सहकारिता क्षेत्र को विश्वसनीयतापूर्वक यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि सततता सहकारिताओं की अंतर्निहित प्रकृति है तथा सहकारी उद्यम तीन अर्थों में सततता के क्षेत्र में सकारात्मक योगदान करते हैं:-

- **आर्थिक**: इस बात के पुष्ट प्रमाण है कि स्वामित्व के स्वरूप की विविधता कुल मिलाकर अधिक स्थायी वित्तीय क्षेत्र के निर्माण में योगदान करती है । निवेशकों के स्वामित्व वाले कंपनी प्रबंधक अपने हित के लिए काम करते हैं और इसमें थोड़ी संख्या में स्टेकधारक होते हैं । जिस प्रकार यह वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ, उसके मूल में भी यही कंपनियां थीं । वित्तीय सेवा क्षेत्र के बाहर भी इस बात को लेकर चिंता जताई जाती रही है कि 'शेयरधारी मूल्य' को बढ़ावा देने से कंपनियों की दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता में कमी आती है ।[19]

सहकारिताओं के पास यहां साझा करने के लिए अनेक सकारात्मक संदेश हैं । पहला, वित्तीय सहकारिताएं शेयरधारकों के बजाय अपने सदस्यों के हितों के लिए काम करते हैं । वे अपने 'स्टेकधारी मूल्य ' को बढ़ावा देते हैं न कि 'शेयरधारी मूल्य' को और ऐसा करने से सहकारिताओं में आंतरिक रूप से जोखिम कम हो जाता है । इस बात को सुझाने हेतु पुख्ता सबूत हैं कि क्रेडिट सहकारिताएं अधिक वित्तीय स्थायित्व और सततता के निर्माण में योगदान करती है ।

"हम उस स्थिति में आ पहुंचे हैं जहां बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण उन एजेंटों के पास है जो बैलेंस शीट के छोटे स्लिव्रस का प्रतिनिधित्व करते हैं किन्तु सामाजिक रूप से सब ऑप्टमिल जोखिम लेने वाले प्रोत्साहनों के साथ काम करते हैं । यह स्पष्ट है कि वर्तमान संकट में खोने वाला कौन है ।" एंडी हालडेन, बैंक ऑफ इंग्लैंड में वित्तीय स्थायित्व के कार्यकारी निदेशक http:// www.irb.co.uk/v34/n04/andrew-haldne/the doom-loop

सहकारिताएं समय के साथ संकट में संघर्ष करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती हैं । वर्तमान संकट के दौर में यह सही है कि - सहकारी बैंक और क्रेडिट यूनियन ने इस बैंकिंग संकट के दौरान अच्छा कार्य किया है । उदाहरण के लिए रेबो बैंक का बाजार 2008 में 42 प्रतिशत बढ़ गया तथा इसके सदस्य संस्थानों की जमा पूंजी में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई । क्रेडिट यूनियनों की सदस्यता में 2008-09 के दौरान वृद्धि हुई है । बरचिाल एंड केटलिसन (2009) रेजलिएंस ऑफ द कोऑपरेटिव बजिनेस मॉडल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस-आईएलओ

कनाडाः में हर 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति क्रेडिट यूनियन प्रणाली का सदस्य है । (द ग्लोब एंड मेल 15.5.2012) तथा खुदरा जमा बाजारों और आवासीय गरिवी बाजारों में क्रेडिट यूनियनों की भागीदारी बढ़ती जा रही है जो 2010 में 16 प्रतिशत तथा 2012 के प्रथम सप्ताह में 19 प्रतिशत थी । (मूडीस इन्वेस्टर सर्विस ग्लोबल बैंकिंग रिपोर्ट 123026, अप्रैल, 2010)
उत्तरी अमेरिका में डेस्जार्डिन अपनी 7500 जमा लेने वाली वित्तीय संस्थाओं के साथ 16वें स्थान पर है जबकि टीयर 1 पूंजी अनुपात की दृष्टि से 16 प्रतिशत के साथ यह दूसरे स्थान पर है । (डेस्जार्डिन ग्रुप क्यू1 2012 वित्तीय रिपोर्ट)

दूसरा, मुनाफे के बजाय मानव आवश्यकता और उपयोगिता को संगठनात्मक प्रयोजन के केन्द्र में रखने से सहकारिताओं को उस अल्पकालिक समस्या से नहीं जूझना पड़ता है जिससे सभी प्रकार के वित्तीय और गैर वित्तीय संस्थान ग्रस्त रहते हैं । इसे दूसरे रूप में कहें तो, वे उस 'वित्तीयकरण" की समस्या का सामना नहीं करते जिसमें पिछले बीस वर्षों में पूंजीवाद को जकड़ रखा है । पूंजीवादी व्यवस्था में वित्तीय कार्यनिष्पादन को उत्तम व्यवसाय का मूल संकेतक माना जाता है । स्वामित्व के रूप और प्रकृति की दृष्टि से देखें तो ऐसी संभावना कम है कि वे मुनाफे की तलाश में उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता में कटौती करें । इस प्रकार वे व्यावसायिक रूपों की विविधता और उनकी पूरी पारिस्थितिकी में सुधार लाते हैं । कैसे व्यवसाय किया जाता है ? इसके लिए वे वास्तविक विकल्प प्रदान करते हैं ।[20]

दूसरा, मुनाफे के बजाय मानव आवश्यकता और उपयोगिता को संगठनात्मक प्रयोजन के केन्द्र में रखने से सहकारिताओं को उस अल्पकालिक समस्या से नहीं जूझना पड़ता है जिससे सभी प्रकार के वित्तीय और गैर वित्तीय संस्थान ग्रस्त रहते हैं । इसे दूसरे रूप में कहें तो, वे उस 'वित्तीयकरण" की समस्या का सामना नहीं करते जिसमें पिछले बीस वर्षों में पूंजीवाद को जकड़ रखा है । पूंजीवादी व्यवस्था में वित्तीय कार्यनिष्पादन को उत्तम व्यवसाय का मूल संकेतक माना जाता है । स्वामित्व के रूप और प्रकृति की दृष्टि से देखें तो ऐसी संभावना कम है कि वे मुनाफे की तलाश में उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता में कटौती करें । इस प्रकार वे व्यावसायिक रूपों की

विविधिता और उनकी पूरी पारस्थिकी में सुधार लाते हैं । कैसे व्यवसाय किया जाता है ? इसके लिए वे वास्तविक विकल्प प्रदान करते हैं ।[2] विकासशील अर्थ व्यवस्थाओं में वे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं । (टैक्स्ट बॉक्स देखें)

- **सामाजिक :** समकालीन पूंजीवाद से उत्पन्न नकारात्मक बाह्य समस्याएं, जिनके समाधान के लिए सरकारें प्रायः संघर्षरत रहती हैं, व्यक्तिवाद और समानता से जुड़ी सामाजिक समस्याएं हैं । इनमें से कईयों में मानव पीड़ाओं का पुट रहता है जैसा कि खुशी के क्षेत्र में काम करने वाले अर्थ-शास्त्रियों और कल्याण संबंधी सर्वेक्षणकर्ताओं की रिपोर्ट में बार-बार दोहराया जाता है । अन्य जो सरकारों के लिए लागत बढ़ाते हैं वे स्वास्थ्य समस्याओं और अपराध के रूप में प्रतिबिम्बित होते हैं । "सामाजिक पूंजी" के अध्ययन से पता चलता है कि ऐसी समितियां जिनमें संघ सदस्यता का स्तर ऊंचा है, वे आर्थिक रूप से भी बेहतर कार्य कर रही हैं । इसके अतिरिक्त, उनमें विश्वास और लोकतान्त्रिक भागीदारी का स्तर भी ऊंचा है ।[22]

एक अनुमान के अनुसार विकसित राष्ट्रों में 250 मिलियन किसान किसी एक सहकारिता से जुड़े हैं ।
विश्व बैंक (2007) वर्ल्ड डवलपमेंट रिपोर्ट 2008; एग्रीकल्चर फॉर डेवलपमेंट

केन्या में सहकारी समितियों ने 3,00,000 लोगों को नौकरी दी है और वित्त पोषण व अवसर उपलब्ध कराकर 2 मिलियन लोगों के लिए परोक्ष रूप से रोजगार सृजित किया है ।
आई.एल.ओ (2012) हाउ वूमेन फेयर इन ईस्ट अफ्रीका कोआपरेटिव, दी केस ऑफ केन्या, तन्जानिया एंड उगांडा।

स्टैण्डफोर्ड यूनीवर्सिटी में किए गये एक अध्ययन से पता चला है कि विकासशील देशों में नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में सततता में वृद्धि हो सकती है किन्तु यह तभी संभव है जब स्थानीय किसान तथा जिन सामाजिक व आर्थिक तंत्र पर वे निर्भर हैं उनका सहयोग मिले । मैक्सिको के याक्वी वैली के किसानों पर किए गये एक अध्ययन में यह पाया गया कि किसानों को नई तकनीकों के कार्यान्वय के बारे में सूचना वैज्ञानियों की बजाय उनकी स्थानीय क्रेडिट यूनियन से मिलती थी । अनुसंधानकर्ताओं का तर्क है कि कृषि के क्षेत्र में नई व अधिक टिकाऊ तकनीकों को लागू करने का कार्य सहकारी समितियों जैसे भागीदार संस्थाओं के माध्यम से किया जाए।
स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी (2011) http://news.stanford.edu/news/2011/june/understanding-farmer-networks-060211-html

सहकारिताएं यहां दो रूपों में बहुत सकारात्मक योगदान करती हैं । पहला- वे जरूरतमंदों को सामाजिक सेवा प्रदान करती है । पहला यह कि ये जरूरतमंदों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करती हैं "सामाजिक सहकारिता" का दायरा अलग-अलग देशों में अलग-अलग हैं किंतु इटली और जापान जैसे देशों कुछेक में यह काफी व्यापक स्तर पर है[23]। सहकारिताएं महज बाजार प्रचालक नहीं हैं बल्कि वे ऐसी सेवाएं भी प्रदान करती हैं जो अन्यथा निजी बीमा कंपनी अथवा राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी । जहां ऐसा होता है, वहां राज्यों की तरफ उन्हें ऐसा करने हेतु समर्थन देने का यह एक मजबूत राजकोषीय मामला होता है, खासकर तब जबकि कोई प्रत्यक्ष राजकोषीय संकट की स्थिति हो । दूसरा - सदस्यता और एसोसिएशन अपने आप में और अपने आपके गुड्स हैं, जब वे ऐसे महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में भी कार्य कर रहे होते हैं जिन पर सफल समितियां और अर्थ व्यवस्थाएं फलती-फूलती हैं ।

सहकारिताएं जिन तरीकों के माध्यम से राष्ट्र की "सामाजिक पूंजी " के स्टॉक में योगदान करती हैं, निवेशकों के स्वामित्व वाले व्यवसाय वैसा नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र संघ इसे स्वीकार करता है और सरकारों से अनुरोध करता है कि वे सहकारिताओं की स्थापना एवं उनका विकास करें तथा गरीबी में जी रहे अथवा कमजोर समूहों से आने वाले लोगों को इस लायक बनाने के लिए कारगर कदम उठाएं कि वे स्वैच्छिक आधार पर सहकारिताओं के निर्माण और विकास से जुड़ सकें, ।"[24] विकासशील देशों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है । यह एक ऐसा कारक है जो उन्हें सरकारों और नीति-निर्माताओं का पसंदीदा बनाता है । वह ऐसे तरीकों के माध्यम से जो समझदारी पूर्ण और प्रशंसनीय है, उन्हें मुनाफा बनाने वाले प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने योग्य बनाता है ।

- **पर्यावरणीय :** इस बात के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं जो यह दर्शाते हैं कि सहकारिताओं का पर्यावरणीय रिकॉर्ड उच्च कोटि का है । इसके अनेक कारण हैं। पहला- भागीदार संगठन होने के नाते भावी पर्यावरणीय परिस्थितियों के बारे में सदस्य लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा सकते हैं और उन्हें निवेश से होने वाली आमदनी का हिसाब लगाने की आवश्यकता नहीं होती । दूसरा - सहकारिताओं में स्टेकधारियों की बहुलता होने के कारण किन्हीं खास स्टेकधारियों पर नकारात्मक बाह्य वातावरण (यथा- अपशिष्ट एवं प्रदूषण) के प्रभाव से व्यावसायिक क्षमता में कमी नहीं आती ।[25]

डेवलपमेंट इंटरनेशनल डेसजार्डिन्स(डीआईडी) केनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मलिकर काम करती है तथा माइक्रोफाइनांस के क्षेत्र में अग्रणी है। वशि्वभार में इसके 8.8 मलियिन सदस्य और क्लाइंट हैं और इसका ऋण कारोबार 2.5 बलियिन कैनेडियन डॉलर हैं । इसकी हाल ही परयिोजनाओं में हैती में पुननरि्माण संबंधी वत्ति-पोषण, दसिम्बर, 2011 के अंत तक पनामा में 11 मलियिन कैनेडियन डॉलर ऋण का कारोबार जसिसे 1700 उद्यमयिों को सहायता मली है तथा जाम्बयिा में 7 मलियिन कैनेडियन डालर का ऋण कारोबार जहां माइक्रोफाइनांस बाजार में उनकी 45 प्रतशित की भागीदारी है ।
http://wwwdid.qu.catem/our-partners/performances-report

श्रीलंका और तंजानयिां में सहकारताओं पर हुए एक अध्ययन में यह पाया गया कि बहुसंख्यक सहकारताओं के माध्यम से गरीबी में कमी आई । कौशल वकिास, शक्षिा और लगि समानता जैसे गैर-आमदनी वाले क्षेत्रों में भी इनका सकारात्मक योगदान रहा है । बरिचाल एंड समिंस(2009)कोआपरेटवि्स प्रोपर्टी रडिक्शन एवडिंश फ्रॉम श्रीलंका एंड तंजानयिा, चीन में सहकारताएं माइक्रो क्रेडटि का 91 प्रतशित मुहैया कराती है ।

क्रेडटि यूनयिन वकिसति देशों में कार्यरत लोगों को वकिासशील देशों में रह रहे अपने परवािरों को कम लागत पर धन अंतरण की सुवधिा प्रदान करने के लिए एक धन प्रेषण प्रणाली की अनुमति देते हैं । यह व्यवस्था लैटनि अमेरकिा में वशिेष रूप से महत्वपूर्ण है (ILO सस्टेनेबल एन्टर्प्राइज प्रोग्रामः रेजलिएिंस ऑफ दि को-ऑपरेटवि बजिनेस मॉडल इन टाइम्स ऑफ क्राइससि, पृष्ठ -26)

पवन शक्ति से संबंधति सहकारताओं की संख्या बढ़ रही है । इस मॉडल के अंतर्गत स्थानीय समुदायों द्वारा ‘वडि फार्म’ हेतु वत्ति पोषण प्रदान कयिा जाता है जसिसे लम्बे समय में उनकी ऊर्जा लागत में कमी आती है। यह स्कैंडनिेवयिा में लोकप्रयि है कन्तिु पछिले एक दशक में अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रसार हुआ है। उदाहरण के लिए 1. नार्थ फ्रीसयिा, जर्मनी में, 60 वडि फार्म में 90 प्रतशित में सामुदायकि स्वामत्वि है; 2- नेशल वडि, 2003 में स्थापति एक मनिपिोलसि कंपनी है जो बड़े पैमाने पर समुदाय आधारति पवन शक्ति परयिोजनाओं का वकिास करती है । इसकी कुल क्षमता 4000 मेगावाट है तथा घरेलू स्तर पर उपलब्ध अक्षय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में नविश को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवति करने में जुटी है ।

सहकारताओं को सततता के नरि्माण के रूप में स्थापति करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापार के रूप में सहकारताओं की व्यावसायकि सततता के बारे में व्यापक स्तर पर जनजागरूकता पैदा की जानी चाहिए । कसिी भी व्यवसाय के भीतर सामाजकि और पर्यावरणीय हतिों की नरिन्तर टकराहट होती रहती है । कन्तिु आम नागरकि की आवश्यकतों को पूरा करने की चाहत के माध्यम से सहकारताएं इन हतिों के बीच संतुलन की स्थति को बढ़ावा देती हैं इससे बेहतर संगठनात्मक सततता का वकिास होता है । अतंतः लक्ष्य के तहत आईसीए के माध्यम से वशि्व स्तर पर सहकारताओं की महत्वाकांक्षा को शामलि कयिा जाना चाहिए ताकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में जहां सरकारें प्रतबिद्धताओं की घोषणा करने और उनपर खरा उतरने के लिए संघर्ष कर रही हैं, भू राजनैतकि व्यवस्था को प्रभावति कयिा जा सके ।

किस प्रकार ये लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं ?

इस योजना के केन्द्र में सहकारिताओं के बारे में सही आंकड़े जुटाने और उनका प्रचार करने हेतु संगठित प्रयास होना चाहिए । इसमें निम्नलिखित प्रयास शामिल हैं ।

संभव और निर्देशात्मक कार्रवाई

- **लेखा के क्षेत्र में नए प्रयोगः** सहकारिता क्षेत्र को इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए । ऐसी ढेर सारी पहल पहले से ही की जा रही है जिनके माध्यम से व्यापार, सामाजिक उद्यम और चैरिटी को अपने 'ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग (टीबीएल)' 'बैलेंस स्कोर कार्ड एप्रोच', 'निवेश पर सामाजिक रिटर्न' (एसओआरआई), 'सामाजिक प्रभाव संबंधी रिपोर्टिंग' 'कल्याण कार्य मापन' जैसे गैर-वित्तीय कार्यनिष्पादन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।[26] जैसाकि 'निवेश पर सामाजिक रिटर्न' के मामले में किया जाता है, इनमें से कुछ अपने विभिन्न आउटपुट को वापस मौद्रिक रूप में परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं । सरकारें भी ऐसा करती हैं जब उन्हें पर्यावरणीय क्षरण की लागत जानने की आवश्यकता होती है । अन्य (जैसे टीबीएल) सामान्यतः मूल्यांकन के प्रतिद्वन्द्वी तरीके साथ-साथ पेश करते हैं ।

- लेखा के इन रूपों में से अनेक को उन लोगों द्वारा विकसित किया जा रहा है जो मुनाफा वाले व्यवसाय में कार्यरत हैं । वे ऐसा रिपोर्टिंग प्रणाली को वित्तीय आंकड़ों के पार फैलाने के लिए करते हैं । किन्तु सहकारिताओं को इस एजेंडे से उसके सकारात्मक प्रभाव के प्रदर्शन के रूप में बहुत कुछ हासिल करना है । विशिष्ट सहकारिता कार्यनिष्पादन मापन विधियों के विकास हेतु कतिपय प्रयत्न हुए हैं किन्तु उन्हें और विस्तारित करने की आवश्यकता है ।[27]

- कार्यनिष्पादन संबंधी दावों के सत्यापन के लिए सामाजिक अंकेक्षण (सोशल आडिट) करना महत्वपूर्ण है । सहकारिताओं को ऐसे आडिट के लिए सिद्धांत और मानक के विकास के क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करना चाहिए क्योंकि निवेशकों के स्वामित्व वाले व्यवसाय ने वित्तीय लेखा एवं अंकेक्षण के सिद्धान्त और मानक के विकास में बढ़त (और अधिपत्य भी) बना रखी है ।

- **केस स्टडी** :- सहकारिता के स्वरूप और लक्ष्य की विविधिता को अभी अल्प-मान्यता ही मिली है । शिक्षा, समुदाय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहकारिता के योगदान तथा अन्य सार्वजनिक लक्ष्यों को प्रदर्शित करने वाली केस स्टडीज एवं कहानियां यहां महत्वपूर्ण हैं और उनकी आवश्यकता भी है । उपभोक्ता ऊर्जा सहकारिताएं न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं । इसके लिए रिकार्डिंग, अध्ययन एवं हाइलाइटिंग की आवश्यकता होती है ।

- **साक्ष्य संग्रहः** सार्वजनिक नीति निर्माताओं के 'सततता' (सस्टेनबिलिटी) में अपने योगदान को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से सहकारिताओं के 'सकारात्मक बाह्यपन' का आर्थिक विश्लेषण मूल्यवान है । स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण जैसे नॉन मार्केट गुड्स के महत्व को समझने हेतु ढेर सारी तकनीक ('आकस्मिक मूल्यांकन' के नाम से ज्ञात) उपलब्ध हैं। इस संबंध में आईसीए को महत्व दिया जाना चाहिए जो वर्चुअल डेटा बैंक की स्थापना की सुविधा प्रदान करती है ।[28]

- **जन वकालतः** सहकारिताओं से संबंधित संदेश अब लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण की भाषा तक ही सीमित नहीं रह सकता । इसे और व्यापक बनाने की आवश्यकता है तथा इसमें अब निरंतर 'सततता' (सस्टेनबिलिटी) को भी संदर्भ के रूप में शामिल करना चाहिए ताकि लोक नीति निर्माताओं, व्यापक जनता और युवाओं को भी इस ओर आकर्षित किया जा सके ।

- **प्रौद्योगिकीः** सहकारिता क्षेत्र को ऐसी प्रौद्योगिकी के प्रयोग और विकास तथा सामाजिक व्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी बनने का लक्ष्य रखना चाहिए जो पारिस्थितिकी (इको सिस्टम) से छेड़छाड़ किए बिना विशेष रूप से मानव हित में योगदान करता है ।

- **प्रबंधन प्रणालीः** सहकारिता क्षेत्र को ऐसे स्पष्ट प्रबंधन प्रणालियां विकसित करने और उन्हें बढ़ावा देने हेतु अधिक काम करने की आवश्यकता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सहकारी व्यापार मॉडल के दीर्घकालिक क्षितिज को व्यक्त कर सकें और जो सहकारिता के फायदे का भरपूर दोहन कर सकें।

- **सहकारी व्यापार तंत्र को मजबूत और एकीकृत करनाः**- सहकारी क्षेत्र को अंतर सहयोग में बाधक तत्वों की पहचान कर उन्हें दूर करना चाहिए तथा इसमें जहां संभव हो, सहयोग के सिद्धान्त का उपयोग करते हुए क्रय जैसी एकीकृत प्रणाली को शामिल करना चाहिए ।.

3. पहचान

coop
FORUM
Välkommen till Coop Forum
Medtag ej väska/ryggsäck
Vi hänvisar till våra förvaringsskåp.
Nötfärs
29⁹⁰
Lösviktsgodis
39⁹⁰
Varsågod!
Kycklingfilé
119:-
Plötsligt händer det!

"सहकारिता का संदेश बनाना और सहकारिता की पहचान सुनिश्चित करना"

आज विश्व जहां लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की कमी तथा अल्पकालिक व्यवस्था की समस्या से ग्रस्त है,वहीं सहकारी समितियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनके माध्यम से व्यवसाय को न केवल एक अलग रूप से बल्कि बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है। इतना ही नहीं व्यवसाय को न केवल अपने लाभ के लिए अपितु पूरे विश्व के लाभ के लिए चलाया जा सकता है। इस बहुमूल्य संदेश के प्रचार प्रसार के लिए सहकारी समितियों को परिभाषित करना तथा उनमें तथा अन्य संस्थाओं में क्या अंतर है यह स्पष्ट करना आवश्यक है। सहकारी क्षेत्र के लिए यह आवश्यक है कि सहकारी संस्थाएं परस्पर पहचान की संस्कृति को सुदृढ़ बनाए, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे सहकारी संदेश अथवा "ब्रांड" को प्रोजेक्ट किया जाए जिसे सभी समझ सकें और जो सहकारिता के माध्यम से किए जाने वाले व्यवसाय के अंतर को स्थापित करे।

विश्व बाजार 'सामाजिक' अथवा 'नीतिपरक' कारोबार से भरा पड़ा है 'कोरपोरेट सामाजिक दायित्व' तथा 'सोशल इंटरप्राइज' दो ऐसे उदाहरण है जो यह दर्शाते हैं कि निजी कारोबारियों ने अपने व्यवसाय मॉडल को इस तह गढ़ा है अथवा ब्रिंड किया है, जो केवल अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के अलावा सामाजिक सरोकार भी रखता है। तथाकथित "नीति परक कोरपोरेशन" तथा अन्य संवेदनशील उद्यम सहकारी समितियों के संदेश तथा अवधारणा को पहले से ही अपना रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे वातावरण में सहकारी समितियां अपनी अलग पहचान कैसे बनाएं ? वे निवेशकों के स्वामित्व वाले कोरपोरेशनों को किस प्रकार गति प्रदान करें और उनका किस प्रकार समर्थन करें ?

सहकारी समितियों के पास बड़ी दौलत उनके सहकारी सिद्धांत हैं। सहकारी समितियां सामान्यतः अलग नहीं दिखतीं। ये मौलिक रूप से भिन्न हैं, उनकी ऐसी छवि बनाने वालों का धन्यवाद। सहकारी समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली सहभागिता तथा निरन्तरता की अवधारणा से परंपरागत कारोबारी मॉडलों पर न केवल गाज गिरी है बल्कि सहकारी समितियों के संचालन, नियंत्रण, प्रबंधन, तथा मूल्यांकन प्रणाली ने भी परम्परागत मॉडलों पर कुठाराघात किया है। उपभोक्ताओं द्वारा कारपोरेट ब्रांडों की नीतिपरक ग्रीनवाशिंग की तेजी से निंदा की जा रही है। मगर सहकारी समितियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोई अन्य कारोबारी मॉडल इनका मुकाबला नहीं कर सकता है।

सहकारी क्षेत्र में जुड़े व्यक्ति सहकारिता क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में सहकारिता की पहचान पर आईसीए के कथन का हवाला दे सकते हैं। तथापि सहकारी सिद्धांतों को एक सीमा तक लागू किया जा सकता है तथा इसमें अधिकार क्षेत्र व अन्य कानूनी प्रक्रिया के आधार पर भिन्नता हो सकती है। अतः ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जिनके लिए सहकारी सिद्धांत अथवा सहकारिता की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। इस वर्ग में नियामक एवं नीतिनिर्माता शामिल हैं। इनमें से बहुत से यह जानना चाहते हैं कि प्रामाणिक सहकारिता तथा अप्रामाणिक संस्था में क्या अंतर है। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि सहकारी नियम-कानूनों का बाजार से लाभ हासिल करने के लिए एक हथियार के रूप मे इस्तेमाल किया जा रहा है तथा इनकी आड़ में प्रतिस्पर्धा व पारदर्शिता से बचने का प्रयास किया जा रहा है।

इसमें आम लोग तथा नवयुवक व्यापक रूप से शामिल हैं जो नीतिपरक तथा सहभागितापूर्ण सहकारिता क्षेत्र के प्रति आकर्षित हो सकते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि उनका संदेश भारी भीड़ में दब जाता है तथा वे अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। यह ऐसा क्षेत्र है जो मौलिक रूप से मुक्त स्रोत है, बाजार में विघटनकारी हो रहा है पर संस्थागत आवश्यकताओं में आत्म निर्भर है तथा विशेषताओं के बारे में उन लोगों को बताने की आवश्यकता है जो इससे जुड़ना चाहते हैं।

लक्ष्य

सहकारिता के संदेश का प्रसार करके सहकारिता की पहचान को सुरक्षित रखना ही लक्ष्य है ताकि सहकारिताओं के मौलिक आर्थिक प्राधिकार तथा "बेहतर कारोबार"के स्टेटस की रक्षा की जा सके । यह भी महत्वपूर्ण है कि इनकी "पहचान तथा 'संदेश' के बीच के अंतर को स्पष्ट किया जाय । मोटे तौर पर कहा जाय तो सहकारिता क्षेत्र तथा इसके सदस्यों के लिए सहकारिता की पहचान ही सहकारिताओं का अर्थ है । संदेश वह है जिससे बाहरी दुनियां को सहकारिताओं की पहचान कराई जाती है । गैर सदस्यों तक इस संदेश को प्रसारित करने के लिए शिक्षा,सूचना का प्रावधान, विपणन व लोगो को माध्यम बनाया जाता है । .

'संदेश' के लिए सामान्यतः प्रयोग में आने वाला शब्द "ब्रांड" है तथा सहकारी क्षेत्र के लोग इसका इस्तेमाल शॉर्टहैंड के रूप मे करते हैं तथा सहकारी 'ब्रांड' बनाने के बारे में बात करते हैं । तथापि, 'ब्रांड' शब्द का इस संदर्भ में इस्तेमाल करते हुए कोई विशेष प्रसन्नता नहीं होती है क्योंकि इसका संबंध निजी इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स से है । इसका लाभ पूरी तरह से राइट्स के स्वामी को ही होता है । आमतौर पर 'ब्रांड' का मतलब बनावटी छवि है जिसके प्रति ग्राहक अधिक आकर्षित होते हैं । इनमें से कोई भी सहकारी क्षेत्र के अनुकूल नहीं है । सहकारी क्षेत्र लम्बे समय तक मूल्यों में अपना दृढ़ विश्वास बनाये रखता है । सहकारी क्षेत्र तथा सहकारी विचारधारा को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है । सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुपालन के इच्छुक व्यक्तियों के लिए यह सब निःशुल्क उपलब्ध है ।

यह कहा जाता है कि "सहकारी" शब्द की मूलभावना की रक्षा करने के लिए सहकारी क्षेत्र न्यायसंगत है । अतः यह इसका दुरूपयोग नहीं है । इसे मूर्तरूप देने की क्षमता क्षेत्राधिकार के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है । इस समय मुख्य ध्यान सही संदेश जो सहकारिता द्वारा विश्व को दिया गया है ,को पहुंचाने पर है जो इसके सही अर्थ के बारे में अनजान हैं । पिछले दो अध्यायों के अनुरूप इस ब्लू प्रिंट में सहभागिता तथा सततता दोनों को सहकारी संदेश के माध्यम से प्रोजेक्ट किया गया है ।

संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष तथा इसका लोगो एक ही संदेश को सहकारी क्षेत्र के लिए अलग-अलग प्रकार से देता है । इस संदेश को बहुआयामी क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है । सहकारिता का अपना डोमेन नाम यहां भिन्न-भिन्न क्षेत्रों को स्पष्ट करने का अवसर भी प्रदान करता है ।

सहकारी समितियों को अपना संदेश पूर्णतः स्पष्ट करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को यह जानकारी मिल सके कि यदि उन्हें सहकारिता अथवा एक निवेशक अथवा निजी स्वामित्व वाले कारोबारों के बीच किसी एक विकल्प को चुनने का मौका मिले तो सही विकल्प क्या है ।

Tack och välkommen
KOOPERATION
UTAN GRÄNSER
VISKOGEN

इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है ?

संभव अथवा निर्देशात्मक कार्रवाई

- हम सहकारिता की पहचान के वक्तव्य को कमजोर नहीं करना चाहते हैं । अतः इस कथन को सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए । तथापि, सहकारी सिद्धान्तों को, जिनका उल्लेख सहकारी पहचान के वक्तव्य में किया गया है, **मार्गदर्शन** के साथ उपयोगी रूप से सप्लीमेंट किया जाए, ताकि नियामक ढांचे (इसका संबंध निम्निलखिति चार उद्देश्यों से है) में इन्हें समायोजित किया जा सके । मार्गदर्शन,विकसित करने के लिए इरिड्यूसेबल कोर अर्थात द्वितीय सहकारी सिद्धान्त "सदस्यों द्वारा नियंत्रित" के पीछे न्यूनतम आवश्यकता को स्थापित किया जाय ? ऐसे मार्गदर्शन के बिना नियामकों के लिए प्रस्तावित संविधान को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना कठिन ही नहीं असंभव भी है । इससे आईसीए को राष्ट्रीय निकायों अथवा उनकी सरकारों के साथ काम करने के लिए एक स्पष्ट आधार तैयार करने में मदद मिलेगी जहाँ उसे इरिड्यूसेबल कोर को बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

- सहकारी समितियों को इस बारे में सोचना होगा कि उन्हें कैसा समझा जा रहा है तथा वे अपने आपको **नवयुवकों** के साथ कैसे प्रोजेक्ट कर रही हैं तथा उनसे कैसे संवाद कर रही हैं । अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए सकारात्मक संबंध तभी बनाए जा सकते हैं जब वे बदलते तौर तरीकों को समझेंगी, जिनके माध्यम से वे सम्पर्क करती हैं । उनके लिए आवश्यक है कि वे प्रौद्योगिकी तथा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करें । मानवीय संबंधों का किसी सहकारी समिति में अनन्य स्थान है । सहकारिता की पहचान तथा संदेश को बनाने में नवयुवकों की सहायता लेने की आवश्यकता है ।

- सहकारिताओं को यह भी सोचने की आवश्यकता है कि उन्हें गैर-सदस्यों तथा विशेषज्ञ समुदाय द्वारा और अधिक व्यापक रूप से समझा जाय । आजकल "सोशल इंटरप्राइज",कारपोरेट सामाजिक,दायित्व,कर्मचारी,ऑनरशिप, सोशल, एनोवेशन"आदि जैसे शब्दों का प्रचलन हो रहा जिनसे सहकारिता के वास्तविक अर्थ को समझने में भ्रम पैदा हो रहा है । सहकारिताओं को प्रायः पूर्ण स्पष्ट रूप से नहीं देखा गया है । विनियम जैसे मुद्दों पर उन्हें पृथक रूप से समझने की आवश्यकता है । अतः यदि लिम्बे समय तक सहकारी समितियों के हित में कार्य करना है तो सहकारिता के **संदेश** के प्रबंधन की आवश्यकता है । दिशानिर्देशों को विकसित करने के पश्चात सही कार्यशैली का विकास किया जाए । कार्यशैली को सहकारिता के संदेश को प्रोजेक्ट करने के प्रयोजन से डिजाइन किया जाए ।

- coop. **डोमेन** के केवल उन नामों के इस्तेमाल पर विचार किया जाए जो इरिड्यूसेबल कोर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं । यद्यपि इसे स्थापित करने में कुछ समय लगेगा । वास्तव में यह सहकारिता द्वारा परिभाषित सर्वाधिक उपयुक्त एविडेंस होगा । इसे अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करने का भी लाभ मिलेगा । यह आईसीए के लिए आधार उपलब्ध कराएगा जिससे आईसीए उन राज्य सरकारों से संपर्क कर सके जिनके कानून इरिड्यूसेबल कोर के सिद्धान्तों को लागू करने से रोकते हैं । परिणामस्वरूप सहकारिताओं के इस्तेमाल से अपने आपको बाहर कर लेते हैं जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक हानि पंहुच सकती है ।

- वैश्विक नीति पर परिचर्चा में सहकारिता की आवाज को बुलंद रखने में उसकी 'पहचान' भी महत्वपूर्ण है । इसका एक पहलू यह है कि पूरे विश्व की सहकारी समितियों द्वारा सामान्यतः अपनाये गये सिद्धान्तों को व्यापक रूप से अपनाया गया है जो इन सिद्धान्तों के अनुपालन के स्पष्ट संकेत हैं । अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012 के लोगो को समितियों द्वारा जिस सीमा तक अपनाया गया है वह राष्ट्रीय सीमाओं से परे साझे मूल्यों के साथ सहकारिता की पहचान की शक्ति को प्रदर्शित करता है । सहकारी समितियों के अधिकतम इस्तेमाल के अलावा **कॉमन सिंबल** के विकास को महत्व दिया जाना चाहिए ।

- शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में सहकारी विचारों तथा परंपराओं के विषयों की जानकारी को भी शामिल किये जाने की आवश्यकता है । सहकारिता की पहचान तथा संदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए **सहकारी शिक्षा** सर्वोत्तम माध्यम है ।

- भावी कर्णधारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है ताकि उन्हें सहकारिता की पहचान से अवगत कराया जा सके । इसके लिए **बिजिनेस स्कूलों तथा व्यावसायिक निकायों में** सहकारिता की पहचान के व्यापक संवर्धन की आवश्यकता है । प्रबंधकों, प्रैक्टिसनर्स तथा शिक्षाविदों के बीच सहयोग बढ़ाकर अनुसंधान तथा विकास, ज्ञान व विचारों का संवर्धन किया जाना चाहिए ।

- विभिन्न देशों में फोकस समूहों तथा बाजार सर्वेक्षणों के माध्यम से सहकारी संदेश देकर **सार्वजनिक ग्राह्यता की मोनिटरिंग** महत्वपूर्ण है ।

"अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012 के लोगो को समितियों द्वारा जिस सीमा तक अपनाया गया है वह राष्ट्रीय सीमाओं से परे साझे मूल्यों के साथ सहकारिता की पहचान की शक्ति को प्रदर्शित करता है "

- **सहकारी समितियों के बीच परस्पर सहयोग की भावना** को मजबूत करने की आवश्यकता है । इसके लिए बड़ी सहकारी समितियों को अपने लाभ में से कुछ राशि नई तथा छोटी सहकारी समितियों को सपोर्ट करने व उन्हें विकसित करने पर खर्च करनी चाहिए ।

- जैसा कि पिछिले दो अध्यायों मे स्पष्ट किया गया है इस ब्लू प्रिंट में यह प्रस्ताव किया गया है कि आने वाले वर्षों में सहकारी क्षेत्र द्वारा इस बात पर ध्यान दिया जाए कि सहकारी समितियों की **पहचान उनकी सहभागिता तथा सततता दोनों के लिए हो** । इसमें सहकारी वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना तथा वैश्विक सुरक्षा में सहकारी समितियों का योगदान भी शामिल है।

- **वर्ल्ड कोआपरेटिव हैरिटेज लिस्ट** तैयार करने पर विचार करना ताकि आधुनिक इतिहास में सहकारिता का प्रभाव परिलक्षित हो सके ।

4. लीगल फ्रेमवर्क

"सहकारी विकास के लिए अनुकूल कानूनी ढाँचा सुनिश्चित किया जाए"

सहकारिताएं विश्व के दूरगामी हितों के लिए बेहतर कैसे है ? और सहकारिता क्या है, जनता इसे भली-भाँति समझती है, को यदि तर्कपूर्ण ढ़ग से कहा जाए तो सहकारिता के विकास को गति मिलेगी । लेकिन इसके विकास में आने वाले मौजूदा बाधाओं को दूर कर दिया जाए तो सहकारिता का विकास बहुत हद तक और कुछ मामलों में अवश्य होगा । इसका एक पहलू वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर सहकारी उद्यमों को विभिन्न क्षेत्रों में शुरु किया गया है तथा यह प्रक्रिया सामान्यतः राष्ट्रीय कानून का हिस्सा है ।

लेकिन यहां इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं । सोच यह है कि सहकारिताएं उद्यम का एक छोटा रूप हैं । यह एक सामान्य बात है । प्रायः यह समझने में चूक रही है कि ये कुशलतापूर्वक कैसे कार्य करती हैं अथवा कैसे लाभ पहुंचाती है । (व्यावसायिक दुनिया में जाने वाले व्यक्तियों की शिक्षा व प्रशिक्षण में सहकारी समितियों के बारे में जानकारी देने की कमी रही है) ये घटक वित्तीय, कानूनी तथा नियामक इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान करते हैं जो अधिकांश कारोबारों के लिए आवश्यक रूप से डिजाइन किए गये हैं । ये कारोबार लाभ प्राप्त करने वाले, शेयर धारियों के स्वामित्व वाले कारोबार हैं । लेकिन ये कारोबार कुछ महत्वपूर्ण मामलों में सहकारी समितियों के लिए उचित नहीं हैं।

सहकारी समितियों के लिए उनके हित में यह आवश्यक है कि वे कार्य चालन,प्रबंधन तथा गवर्नेंस पद्धतियों के अंतर्गत निवेशकों के स्वामित्व वाले उद्यमों को मिमीक करने की किसी भी प्रवृत्ति को रोकें जो सहकारिताओं की विशेषताओं को परिलक्षित नहीं करते हैं । यह प्रायः एक आसान विकल्प हो सकता है जब निवेशक स्वामित्व वाले कारोबार के लिए डिजाइन किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य कर रहे हों लेकिन सहकारिता के क्षेत्र में यह तब तक संभव नही होगा जब तक सहकारिताएं अपनी सही पहचान तथा सम्मान के लिए संघर्ष नहीं करेंगी ।

उनके लिए अपनी प्रतिष्ठा तथा समान व्यवहार के माध्यम से वाणिज्यिक हितों को प्राप्त करने का जोखिम रहेगा । इस बारे में प्रबंधकों को सहयोग तथा प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है ।

वेनिस में हाल में आयोजित कॉन्फ्रेंस की अंतिम घोषणा में " सहकारिता के स्वरूप के अनुरूप तथा उसके विकास के अनुकूल नियामक तथा सहयोगी पोलसिजि बनाने की गांरटी दी गई । यह महत्वपूर्ण मांग कई पीढ़ियों से की जा रही थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का संकल्प 56/114 आई.एल.ओ. की सिफारिश 193भी शामिल है जिसमें सरकारों से (अन्य बातों के साथ-साथ) सहकारी समितियों की स्थापना करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया गया था तथा सहकारिताओं के विकास के लिए अनुकूल तथा सहयोगी वातावरण तैयार करने के लिए समुचित कदम उठाने के लिए कहा गया था ।

अनुकूल कानूनी फ्रेमवर्क के महत्वपूर्ण पहलू के माध्यम से यह सुनिश्चित करना था कि सहकारी कानून के माध्यम से सहकारी पहचान को सुदृढ़ व सुरक्षित किया जाय । प्रत्येक जूरसिडक्सिन के लिए कानून इस तरह से बनाये जाने की आवश्यकता है जिसमें सहकारी सद्धिान्तों को स्थानीय संदर्भ में इस तरीके से समायोजित किया जाए जिससे वे सहकारी समितियों की विशिष्ट पहचान को समुचित रूप से प्रतिबिम्बित कर सकें ।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सहकारी समितियों की सिफारिश 2012 (आईएलओ की सिफारिश193) के संवर्धन में (अन्य बातों के साथ-साथ) निम्नलिखित सिफारिशें की है :-

- सरकार को सहकारी समितियों की प्रकृति तथा कार्यप्रणाली के अनुसार तथा सहकारी मूल्यों व सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित सहयोगी नीति तथा कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना चाहिए ।

- सभी देशों में सहकारी समितियों की क्षमता के संवर्धन के लिए उनके विकास के स्तर पर ध्यान दिए बिना विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपायों को अपनाना जिनके अंतर्गत आय बढ़ाने की गतिविधियां तथा रोजगार का सृजन, मानव संसाधन क्षमताओं का विकास तथा सहकारिता की जानकारी, कारोबारी क्षमताओं का विकास, बचत तथा निवेश को बढ़ाना और सामाजिक व आर्थिक सुधार की गतिविधियां शामिल हैं ।

- राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक विकास स्तम्भ के रूप में सहकारी समितियों का संवर्धन करना ।

- सरकार को सहकारी समितियों की पहुंच सपोर्ट सेवाओं, निवेश तथा वित्त व ऋण संबंधी सेवाओं के क्षेत्र में करने के लिए सहयोग करना चाहिए ।

अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2102 की एक महान सफलता यह है कि नीति निर्माता तथा नियामक अंततः सहकारी समितियों के द्वारा किए गये सामाजिक बदलाव तथा उनके द्वारा दिए जा रहे लाभों के प्रति सचेत हुए हैं। इसके बारे में पहले ही काफी कहा जा चुका है तथापि, नीति निर्माताओं, नियामकों को सहायता उपलब्ध करानी चाहिए यदि हम उद्योगों के सहकारी रूप के प्रति बढ़ते हुए उत्साह को सहयोगी कानूनी ढांचों के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। इससे सहकारी समितियों का तेजी से विकास होगा और प्रत्येक को उसका लाभ मिलेगा ।

सर्वप्रथम हमें इस बात पर बल देना होगा कि इस एजेंडा को आगे बढ़ाने का अर्थ किसी को विशेष तरजीह, अर्थसहायता अथवा पक्षपात की वकालत करना नहीं है। सहकारी समितियां अब किसी अन्य कारोबार की तरह सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं हैं लेकिन कोई कारोबार एक नियामक व्यवस्था के अधीन ही चल सकता है तथा कारोबारी विकास हमेशा नियमों तथा नीतियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। सहकारी समितियों के इतिहास पर यदि नजर डालें तो सहकारी समितियां ऐसे कानूनी ढांचा होने के बावजूद सफल रही हैं, जो कुछ लिमिटिड कंपनियों को ध्यान मे रखकर ही तैयार किया गया है। सहकारी क्षेत्र अब न तो आशा करता और न ही निवेदन करता है कि उसके लिए कुछ रियायतें दी जाएं। यह क्षेत्र केवल यह चाहता है कि सिरकारें तथा कानून निर्माता उन आर्थिक तथा सामाजिक लाभों को सही ढंग से समझें जो केवल सहकारी तंत्र ही दे सकता है और ऐसा उचित कानूनी ढांचा तैयार करें जो इन लाभों के आधार पर सहकारिता को और अधिक व्यापकता प्रदान करे।

वर्ष 2009 में भारत सरकार ने अपने संविधान (111 वां) संशोधन विधेयक के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जिसमें सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। सदन ने चुनाव अयोग के अनुरूप एक विशेषज्ञ एजेंसी स्थापित करने के अधिकार को भी मंजूरी दी है जो सहकारी समितियों के चुनाव करा सकती है। http://agricoop.nic.in/cooperation/hpcc2009new.pdf

लक्ष्य

सहकारी समितियों के लिए अनुकूल नियामक अथवा कानूनी फ्रेमवर्क का कोई एक आकार नहीं हो सकता है। सहकारी समितियों के पंजीकरण तथा अन्य संस्थाओं की तुलना में उन्हें कैसे महत्व दिया जाए इन दोनों विषयों के बारे में कानून बनाने की आवश्यकता है और यह राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के अनुरूप बनता है तथा उसका इसी के अनुसार विश्लेषण किया जाना चाहिए। अतः कानूनी ढांचे में विशेष प्रकार के सुधारों के बारें में सोचा जाना चाहिए और राष्ट्रों के स्तर पर इसके लिए पैरवी की जानी चाहिए।यह ढाँचा संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए तथापि अच्छे राष्ट्रीय पंजीकरण तथा नियामक वातावरण को सराहा जाना चाहिए, उसे हाईलाइट करना चाहिए और जहाँ अच्छा वातावरण नहीं है, वहाँ आईसीए द्वारा समर्थित राष्ट्रीय इकाईयां वातावरण में सुधार लाने के प्रयास करें।

सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार आधारित ढांचे की गुणवत्ताओं का मूल्यांकन करने के साथ-साथ सहकारी समितियों के टिकाऊपन व सार्वजनिक/ सामाजिक मूल्य के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने में आईसीए की महत्वपूर्ण भूमिका है। (उपर्युक्त टिकाऊपन को देखें) इससे सहकारी समितियों को सहयोग देने संबंधी सरकारी सुधारों के मामले को मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से ऐसे समय में सहयोग देने जब वित्तीय संकट हो और जब अनेक राष्ट्र सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक प्रावाधानों के नये तरीकों को अपना रहें हैं। इस बारे में एक युक्तिसंगत मामला प्रस्तुत किया जा सकता है कि सहकारिताएं निवेशकों के स्वामित्व वाले कारोबार की तुलना में अधिक सक्षम हैं, यदि एक बार इनके "सामाजिक मूल्य" समायोजित कर दिये जाएं और वे सार्वजनिक हित में पर्याप्त योगदान करने लगें।

यह तर्क हमें अनेक क्षेत्रों में वर्तमान राष्ट्रीय कानून कैसे लागू हैं, इस पर विचार करने के लिए एक आधार प्रदान करता है तथा सहकारी समितियों द्वारा राष्ट्रीय सार्वजनिक हित में किया गया योगदान क्या सहकारी समितियों के लिए अलग बर्ताव को न्यायसंगत बनाता है। उदाहरण के लिए यह कर कानून,अथवा प्रतिस्पर्धा तथा ट्रस्ट विरोधी कानून के मामले में अलग बर्ताव को न्यायसंगत बनाता है। यह लागू किए जाने वाले नियामक कानून को भी प्रभावित करता है। उदाहण के लिए पूंजी जुटाना तथा ऐसे कानून बनाना जो सरकारों के साथ करारों को कवर करते हैं।

इस क्षेत्र के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस समय सहकारी समितियों को अन्य व्यापारिक संस्थाओं की तुलना में नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका सीधा सा उदाहरण यह है कि प्रतिस्पर्धा तथा ट्रस्ट विरोधी कानून अनेक क्षेत्राधिकारों में धीरे-धीरे लागू किए जा रहे हैं। ये कानून मुख्य रूप से निजी व्यवसायों के एकाधिकार अथवा निजी लाभ के लिए लोगों का शोषण करने की स्थिति को रोकने के लिए तथा सामान्य लोगों तक सामान एवं सेवाओं की पहुंच को नियंत्रित करके सामुदायिक हित को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लागू किए जाते हैं।

लेकिन क्या यह उचित है कि ऐसे कानूनों को इसी रूप में सहकारी समितियों पर भी लागू किया जाय जिनकी स्थापना समुदायों के द्वारा सामान तथा सेवाओं तक उनकी पहुंच सुरक्षित रखने के लिए ही की गई है। इस मामले पर अलग से विचार करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक सेवाओं की ऑउटर्सोसिंग के लिए लागू खरीद संबंधी कानून इसका एक अन्य उदाहरण है। ऐसी सेवायें उपलब्ध कराने के लिए खुलेपन तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए नियमों में सभी संबधित घटकों को समझा जाना चाहिए।

इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

संभव अथवा निर्देशात्मक कार्य

- रजिस्ट्रारों तथा नियामकों को निम्नलिखित के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

- रजिस्ट्रारों तथा नियामकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करना [35]

- सहकारी सिद्धान्तों को लागू करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना

- विभिन्न क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सहकारी समितियों पर लागू उप-नियमों का तुलनात्मक अध्ययन करके **राष्ट्रीय सांसदों,विधायकों,तथा नीति निर्माताओं को सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।**

- उदाहरण के लिए 2009 में आईसीए अमेरिकाज ने लैटिन अमेरिकी देशों के लिए फ्रेमवर्क कानून तैयार करने के लिए 198836 से पूर्व के गत संस्करण को अपडेट करते हुए एक दस्तावेज प्रकाशित किया । यह फ्रेमवर्क कानून अन्य देशों के कानून निर्माताओं के द्वारा नकल करने के लिए एक मॉडल के रूप में नहीं है । इसका प्रयोजन विधिशास्त्र,शैक्षणिक अध्ययन तथा तुलनात्मक कानून के आधार पर सहकारिता कानूनों के मुख्य पहलुओं पर मार्ग निर्देश देना है ।

- यूरोपियन सहकारी कानून (एसजीईसीओएल) पर एक स्टडी ग्रुप गठित करके के लिए हाल ही में एक ओर प्रयास किया गया है जो यूरोपियन सहकारी कानून के सिद्धान्तों (पीईसीओएल) का अध्ययन कर अपने पहले रिसर्च प्रोजेक्ट37 के रूप में कार्य करेगा। एसजीईसीओएल का सामान्य उद्देश्य यूरोप में सहकारी कानून पर तुलनात्मक अध्ययन करना है ताकि राष्ट्रीय, यूरोपियन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी, शैक्षणिक ,सरकारी संस्थाओं में सहकारी कानून के प्रति जागरूकता तथा समझ को बढ़ाया जा सके । एसजीसीईओएल इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सहकारी कानून पर विभिन्न अनुसंधान संबंधी प्रयास कर रही है और इसकी शुरूआत, पीईसीओएल की ड्राफ्टिंग से की जा रही हैं ।

- **ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन** जैसे विश्व बैंक तथा अंतर शासकीय नीति निर्धारण निकायों जैसे जी 8 तथा जी20 के साथ सहकारी एजेंडों को जोड़ना ।

- वैश्विक तथा क्षेत्रीय **राजनैतिक घटनाओं तथा परिवर्तनों** के द्वारा सर्जित सहकारी अवसरों का लाभ उठाने के लिए क्षमता का विकास करना ।

- **इस साक्ष्य को सहकारी समितियों के सामाजिक तथा सार्वजनिक लाभ के लिए प्रकाशित किया जा सकता है** । विभिन्न क्षेत्राधिकारों तथा आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में कानून में सहकारिताओं के समुचित उपचार के लिए दिए तर्कों के समर्थन में यह साक्ष्य दिया जाए तथा साहित्य शिक्षाविदों की एक बॉडी बनाई जाए ।

- जैसा कि सहकारी पहचान के अंतर्गत ऊपर उल्लेख किया गया है एक **"इरड्यिूसेबल कोर" की स्थापना** करने की आवश्यकता है जो एक सहकारी संस्था के रूप में राष्ट्रीय कानून प्रणाली के तहत सहकारी समितियों को अलग ट्रीटमेंट दिए जाने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगी । यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक तथा सार्वजनिक लाभ व साक्ष्य के बीच एक मजूबत संबंध होना चाहिए तथा इस संबंध को सहकारिता के रूप में मानने के लिए एक न्यूनतम मानदंड होना चाहिए । उदाहरण के लिए यह वहां आवश्यक होगा, जहाँ सहकारिताओं को अलग-अलग वित्तीय अथवा नियामक ट्रीटमेंट दिया जाता है अन्यथा उनकी पात्रता के लिए झूठे दावे पेश किए जायेंगे । यह बड़ा कठिन क्षेत्र है जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ,जिसका उल्लेख विशेष रूप से ऐंटोनियो फिक्की 38 द्वारा हाल में ही प्रकाशित किए गए पेपर में किया गया है ।

- **राष्ट्रीय लीगल फ्रेमवर्क की उस सीमा का मूल्यांकन** करने के लिए जिससे कि वे सहकारी समितियों का समर्थन कर सकें, एक मैकेनिज्म अथवा टूल का विकास किया जाना चाहिए । ज्यूरिसडिक्शन की एक लीगल टेबल बनाई जाए जिसमें सुदृढ़ व लचर लीगल फ्रेम वर्क को हाई लाइट किया जाए। यह पूअर परफोर्मेंस को हाईलाइट करने का अच्छा तरीका होगा तथा इससे प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर उनके साथ राजनितिक स्तर पर चर्चा में उनके साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा ।

- एक **सहकारी ज्ञान डाटा बैंक** की स्थापना करना ताकि उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके व ज्ञान का अंतरण करने में सहयोग दिया जा सके ।

5. पूंजी

"सदस्यों के नियंत्रण की गारंटी के साथ विश्वसनीय सहकारी पूंजी प्राप्त करना"

कोई भी व्यवसाय पूंजी के बिना नहीं चल सकता तथा सहकारिताएं भी इसका अपवाद नहीं हैं । वे उधार (ऋण पूंजी) लेने में समर्थ होती हैं । इन्हें अपनी दीर्घावधिक कारोबार के लिए आवश्यक धन जुटाने हेतु कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्यतः दीर्घावधिक जोखिम अथवा लॉस एब्जोर्विंग पूंजी लेने की आवश्यकता होती है । सहकारिता की पूंजी सामान्यतः या तो शेयरों के रूप मे सदस्यों से आती है (अथवा लाभ की धारित आय (आरक्षित) से आती है । धारित आय को एकत्रित होने में समय लगता है तथा आरंभ में यह उपलब्ध नहीं होती । सहकारिता का इतिहास देखें तो बड़े बैंको द्वारा इनकी आवश्यकता को पूरा करने से पहले एक समय में सहकारिताओं को सदस्यों द्वारा जमा नगदी से इनकी फंडिंग होती थी । सदस्य अपनी बचत को सहकारी समितियों के पास रखते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर वापस ले सकते थे ।

वापस ली जा सकने वाली शेयर पूंजी, यदि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अधिक समय तक पूंजी आवश्यकता को पूरी नहीं करती है । वित्तीय संस्थाओं की सुविधा की व्यापक उपलब्धता तथा सेवाओं का अभिप्राय है कि अब लोग सहकारी समितियों को अपनी नकदी के लिए सुरक्षित नहीं मानते । आज के संदर्भ में ऐसी पूंजी जो अपनी इच्छा अनुसार वापस ली जा सकती है, इसी कारोबार की फंडिंग के लिए सामान्यतः व्यापक स्थायी आधार उपलब्ध नहीं कराएगी । अतः कई क्षेत्राधिकारों में सहकारिताओं को पूंजी प्राप्त कराने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ।

निवेशकों के स्वामित्व वाले कारोबार उनसे पूंजी जुटाते हैं जो वित्तीय प्रतिलाभ की आशा करते हैं । यह प्रतिलाभ लाभांश के रूप में अथवा कुछ समय के बाद कारोबार के मूल्य में पूंजीगत वृद्धि से अथवा दोनों से संयुक्त रूप से प्राप्त हो सकती है । परंपरागत "इक्विटी पूंजी" से ये लाभ प्राप्त होते हैं तथा यह इस सिद्धान्तों पर आधारित है कि शेयर पूंजी निवेशक द्वारा धारित निवेशों को कंपनी के आंके गये पूंजीगत मूल्य में अनुपातिक रूप से भागीदार बना देती है और उसे कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में वितरित किए गए लाभ में से आनुपातिक आधार पर लाभांश दिया जाता है ।

सहकारी पूंजी इन दोनों सिद्धान्तों से अलग है । पहली बात यह है कि कोई सदस्य सामान्यतः समिति से केवल उसके द्वारा

> "हमें ऐसी पूंजी की आवश्यकता है जो डिस्ट्रक्टिव न होकर सामाजिक रूप से कन्सट्रक्टिव हो तथा अस्थिर की बजाय अधिक टिकाऊ हो । हमें ऐसी पूंजी की आवश्यकता है जो सीमित तथा नियंत्रित हो तथा मानवीय आवश्यकता को पूरा करे न कि उसके लालच को ।सहकारी पूंजी रचनात्मक, स्थायी तथा सीमित है । विश्व में और अधिक सहकारी पूंजी की आवश्यकता है जो निवेशक के रूप में बचत की बजाय सहकारी पूंजी के रूप में बचत के रास्ते जाना चाहिए "
> वैव तथा अन्य (2010) सहकारी पूंजीः यह क्या है तथा विश्व को इसकी आवश्यकता क्यों है ।

जमा किए गए धन अथवा शेयरों के लिए अभिदत्त राशि को वापस लेने का पात्र है । अतः किसी शेयर की अंडरलायिंग वैल्यू में उसकी कोई पात्रता नहीं होती है । दूसरी बात यह है कि जब सहकारी समितियां तीसरे सहकारी सिद्धान्त के अंतर्गत पूंजी पर ब्याज का भुगतान करती हैं तो सदस्य उसके द्वारा सदस्यता के शुल्क के रूप में अभिदत्त पूंजी पर "सीमित राशि, यदि कोई है, प्राप्त करते हैं" ।

यह राशि सदस्यों को लाभ अथवा अधिशेष के रूप में वितरित की जाने वाली राशि की सीमा के अंतर्गत दी जाती है । इस प्रकार वितरित की जाने वाली यह राशि सदस्य द्वारा समिति के साथ किए गए कारोबार के अनुपात मे होती हैं।

यदि किंपनी की इक्विटी पूंजी के साथ तुलना की जाए तो सहकारी समिति की पूंजी से निवेशकों को उसके बराबर आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता । परिणामस्वरूप यह आर्थिक रूप से आकर्षक नहीं है तथा निवेशक इसमें कम रूचि लेते हैं ।

लेकिन सहकारी समितियां पूरे समाज को जो लाभ पंहुचाती हैं, (न केवल लाभ कमाने वाले निवेशकों को) वह सही मायने में आकर्षक है । यदि हम उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखकर निवेशकों के स्वामित्व वाले कारोबार के व्यापक प्रभावों से इसकी तुलना करते हैं। हम इस अंतर को कैसे पूरा कर सकते ?

लक्ष्य क्या है ?

इस विषय को जटिल, तकनीकी तथा किसी हद तक होली ग्रेल की खोज की तरह रहस्यमय बनाना आसान है- । अनिवार्यतः एक नागरिक के रूप में हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने पैसे को एक सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना अब हमारी आवश्यकता नहीं है,लेकिन इसकी भविष्य में आवश्यकता होगी, व्यवसाय की आवश्यकता के लिए हमें पूंजी जुटाने तथा हमारी बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इसकी आवश्यकता होगी ।

गत 150 वर्षों के इतिहास पर नजर डालें तो हम पायेंगे की यह समय निवेशकों का रहा है । "निवेश" का सामान्यतः अभिप्राय है, धन को कहीं ऐसी जगह लगाना जहां से सर्वाधिक लाभ मिल सके । इस शब्द का इस्तेमाल सामान्यतः धन को कंपनी के शेयरों में लगाने के लिए होता है । विकसित अर्थव्यवस्था में अधिकतर लोग जाने अनजाने में निवेशक बन गए हैं । अपनी सेवानिवृति के बाद की बचतों के माध्यम से तथा अन्य वित्तीय उत्पादों जैसे बीमा आदि जो इनवेस्टर, ऑनरशिप मॉडल द्वारा उपलब्ध कराये गये है, के माध्यम से अपनी बचत से अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना एक सामान्य बात हो गई है तथा हम इसके आदी हो गये हैं । लेकिन गत चार वर्षों से आर्थिक उतार-चढ़ाव ने इस मॉडल की कमजोरी को उजागर किया है । अतः अब कुछ बेहतर किए जाने की आवश्यकता है ।

एक सफल मॉडल बनाने का अभिप्राय इतना ही नहीं है कि कारोबार स्थापित करके केवल कारोबार के प्रचालन में परिवर्तन कर दिया जाए बल्कि सहकारिताओं जैसी संस्थाएं स्थापित की जाए जो लम्बे समय तक मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं । इसका अभिप्राय लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना भी है । हम सभी को अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेशकों के रूप मे बर्ताव पर विराम लगाना होगा । हम दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने धन को ऐसी जगह लगाना होगा जहाँ वह बेहतर विश्व का निर्माण कर सके । यदि हम अपनी पूंजी को इक्विटी शेयरों मे निवेश करते रहेंगे तो बेहतर विश्व का निर्माण नहीं हो सकता ।

यदि कोई इस बात को सही नहीं मानता है कि यह सशक्त साक्ष्य है कि अपने धन का इस्तेमाल करने की लोगों की सोच बदल रही है तो यह निराशावादी धारणा है । लेकिन धन दौलत के प्रति सोच तथा लोग इसे कहां रखते हैं, इसमें नाटकीय रूप से बदलाव आ रहा है ।

बिलगेट्स तथा तीस अन्य अमेरिकी धन कुबेरों ने यह शपथ ली कि वे अपनी सम्पत्ति का कम से कम 50 प्रतिशत भाग दान के लिए देंगे । यह धन2004 में आई सुनामी, 2001 में जापान में भूकम्प तथा सुनामी से प्रभावित आम लोगों तथा अन्य प्रमुख आपदाओं के लिए दिया जाएगा । प्रमुख समाचार पत्रों में वित्तीय विश्लेषण के पृष्ठों में बैंकरों के लाभ तथा व्यवहार, मूव योर मनी अभियान 42तथा ओक्यूपाई मूवमेंट के अच्छे परिणाम मिलें है । हम परिवर्तन के युग में रह रहे हैं जहाँ लोकप्रिय व्यवहार तथा मोटीवेशन में परिवर्तन हो रहा है ।

कैपिटल इन्सट्रूमेंट्स को आज के एटीट्यूट तथा मोटीवेशन के अनुकूल ट्यून करने की आवश्यकता है । अतः सहकारिता के भविष्य के लिए विश्विसनीय वातावरण उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है जिसे लोग रिकनाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं तथा उसमें विश्वास रख सकते हैं ।(उपर्युक्त अध्याय 3 को देखें) । तत्पश्चात सही मैकेनिज्म उपलब्ध कराने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से वे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने धन का इस्तेमाल कर सकें । इसका अभिप्राय एक ऐसा वित्तीय वातावरण बनाने की आवश्यकता है जो सहकारी पहचान को समाप्त किए बिना प्रतिलाभ उपलब्ध कराएगा तथा उससे लोग आवश्यकता पड़ने पर अपना धन ले सकेंगे ।

उसका अर्थ यह भी है कि परंपरागत सदस्यता से हट कर लेकिन सदस्यों के नियंत्रण से समझौता किए बिना धन को प्राप्त करने के व्यापक विकिल्पों को खोजा जाए ।

इस संदर्भ में समुचित वित्तीय इन्सट्रूमेंट्स की आवश्यकता है जिनके माध्यम से लोग सहकारी समितियों मे अपना धन लगा सकते हैं । यह ऐसा क्षेत्र है जिसे कंपनियों के द्वारा पहले ही एक्सप्लोर किया जा चुका है लेकिन सहकारी क्षेत्र में इसके लिए समय और ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया गया है ।

ऐसे इन्सट्रूमेंट्स की आवश्यकता है जो सहकारी समितियों में धन लगाने व उन्हीं के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराये ।

- जो सहकारिता कारोबार के लिए स्थायी आधार उपलब्ध कराए ।
- जहाँ शेयर बाजार वास्तव मे उपयुक्त नही है, का हवाला देते हुए धन उपलब्ध कराने वाले के लिए समुचित "एक्जिट" उपलब्ध कराए तथा
- सदस्यों द्वारा नियंत्रित सहकारी प्रकृति की संस्थाओं को कम न आंके अथवा दुर्बल न समझे ।

इन लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जा सकता है ?

संभव अथवा निर्देशात्मक कार्रवाई

- मौजूदा सदस्यों को सहकारिता के लिए **फंडिंग** करने हेतु प्रोत्साहित करना ।

- यह सुनिश्चित करना कि धन उपलब्ध कराने वालों के लिए सहकारिताओं के पास एक **स्पष्ट प्रस्ताव** है ।

- पूंजी तथा वित्तीय इन्सट्रूमेंट्स के संबंध में अधिकार क्षेत्रों के बीच विचारों तथा **अनुभवों के पारस्परिक आदान-प्रदान** को प्रोत्साहित करना ।

- एक आधुनिक व्यापक **वित्तीय इन्सट्रूमेंट्स** बनाना जिसे जोखिम पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा जो सहकारी कारोबार तथा सहकारी निधियां मुहैया कराने वालों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके ।

- विभिन्न आकार की सहकारी संस्थाओं तथा क्षेत्रों के अनुकूल विभिन्न रेंज के व्यापक मॉडल विकसित करना।

- ऐसी संस्थाओं का पता लगना जो कारोबार (बड़े एवं छोटे) के लिए आवश्यक पूंजी के लिए **एग्रीगेटर अथवा बिचौलिए** के रूप में कार्य कर सकें ।

- सहकारिता की स्थापना के लिए उसे एक परिसम्पत्ति की श्रेणी में रखकर उसके लिए **वैश्विक विकास सहकारिता निधि** का इस्तेमाल करना।

- फंडिंग तथा नए वित्तीय इन्सट्रूमेंट्स के लिए **बदलते रूख तथा मोटविशन पर अनुसंधान** कार्य करना ।

- सबसिडियरी कारपोरेट संस्थाओं तथा अन्य **ग्रुप स्ट्रक्चर अरेंजमैंट** के प्रयोग से उत्पन्न जोखिमों तथा अवसरों की समीक्षा तथा पूंजी एकत्रित करने के लिए सहकारी समूहों अथवा कलस्टरों का गठन।

- ऋण तथा लाभ देने वाली पूंजी की तुलना में सहकारी पूंजी को **प्रेरणागत मॉडल** के रूप में दर्शाने के लिए केस तैयार करना ।

- विकास तथा कार्यनिष्पादन के आकलन के लिए विशिष्ट सहकारी **इंडैक्स** तैयार करना ।

- ऐसे **लेखांकन मानक** तैयार करना जो सहकारी मॉडल के विशेष गुणों को मान्यता दें ।

- ब्रोकर अरेंजमैंट तथा साझे सेवा ढाँचों के माध्यम से **सहकारिताओं के बीच विश्व व्यापार** को बढ़ाना।

सारांश

विजन 2020: सहकारी दशक के लिए एक सम्मानजनक महत्वाकांक्षी ब्लू प्रिंट

जब सहकारी कर्णधारों ने अपने नये विचारों को पहली बार कार्यान्वित किया तो उन विचारों से लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का मार्ग मिला जबकि निवेशकों के स्वामित्व वाले कारोबार उन्हें असफल बना रहे थे ।

आज सभी लोगों के उन्हीं विचारों की आवश्यकता है । वैश्विक समुदाय परंपरागत तरीकों से किए जा रहे कारोबार में असफल हो गया है ,क्योंकि वहाँ लाभ तथा विकास, टिकाऊपन की बजाय, अधिक महत्वपूर्ण है तथा कुछ लोगों का निजी हित सार्वजनिक हित की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है ।

सहकारी विचार धाराएं कारगर हैं लेकिन आज भी अधिकतर लोगों को उनके बारें में जानकारी नहीं है । यही कारण है कि यह ब्लू प्रिंट सहकारी संदेश को स्पष्ट करने तथा इसे विश्व समुदाय तक पहुचाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है । इस समय यह कल्पना नहीं की जा सकती कि यह क्या हासिल कर सकता है ?

लेकिन यह इस दृष्टि से भी महत्वाकांक्षी योजना है कि इसके माध्यम से लोगों को उन साधनों से अवगत कराया जाएगा जिससे उनको कल्पना को साकार करना संभव होगा । यह ऐसी योजना है जिसके माध्यम से सभी लोग महिलाएं तथा पुरूष, बुर्जुग तथा नवयुवक सभी की उन बाधाओं को दूर कर सकेंगे जो संभवतः उनके सपनों को पूरा करने में बाधक हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष ने सहकारिताओं के लिए तथा उन लोगों के लिए एक कैटालिस्ट का काम किया है जो सहकारी विचारों में विश्वास रखते हैं । यह सहकारी दशक को लांच करने का एक प्लेटफार्म बन गया है । महत्वाकांक्षी योजना समय और परिस्थिति की मांग है तथा यही कारण है कि आईसीए ऐसे चुनौतीपूर्ण ब्लू प्रिंट को स्वीकार कर रहा है ।

यह एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे आईसीए सिर्फ अपने बलबूते आगे नहीं बढ़ा सकता । निश्चित रूप से आईसीए की भी अपनी भूमिका है तथा प्रस्तुत चुनौतियों को उजागर करने का उसका भरसक प्रयत्न रहा है ।

लेकिन इस ब्लूप्रिंट को सार्थक एवं प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय निकायों, प्रत्येक समितियां तथा सहकारी तरीके से अपना कारोबार करने मे विश्वास रखने वाले सभी लोगों के द्वारा ध्यान इसे स्वीकार किया जाए और इसका समर्थन किया जाए । सहकारिताओं को परस्पर सहयोग से अपना मार्ग स्वंय प्रशस्त करना होगा ।

विजन 2020 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब हम सभी को भूमिका निभानी है ।

अंतर्राष्ट्रीय कोआपरेटिव एलायंस

इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलायंस (आईसीए) एक स्वतंत्र, गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1895 में पूरे विश्व में सहकारिताओं को संगठित करने,उनका प्रतिनिधित्व करने तथा उनकी सेवा करने के उद्देश्य से की गई थी। यह सहकारिताओं को तथा उनके बारे में ज्ञान, विशेषज्ञता तथा समन्वित कार्रवाई के लिए विश्व स्तर पर आवाज उठाने हेतु एक मंच उपलब्ध कराती है ।

अंतर्राष्ट्रीय तथा सहकारी संगठन आईसीए के सदस्य हैं, जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों यथा कृषि, बैंकिंग, उपभोक्ता,मछली पालन,स्वास्थ्य,हाउसिंग, बीमा, तथा कामगार, में कार्यरत हैं । आईसीए में 100 से अधिक देश के सदस्य हैं जो पूरे विश्व में एक बिलियन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं । एक सौ मिलियन लोग स्थानीय स्तर पर सहकारिता के लिए कार्य करते हैं ।

KELLOGG COLLEGE

पारस्परिक तथा कर्मचारियों के स्वामित्व वाले कारोबार का केन्द्र

यह केन्द्र केलॉग में है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ग्रैजुएट कॉलेजों में से एक है । केलॉग कॉलेज यूनिवर्सिटी के जीवनपर्यन्त प्रशिक्षण कार्य को बढ़ावा देता है तथा परिपक्व व अंशकालीन विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखते हुए व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करता है ।

नीति निर्माता बुद्धिजीवी, तथा नागरिक सामान्यतः सहकारिता तथा म्यूचअल इंटरप्राइज द्वारा तैयार की गई स्टॉकहोल्डर इन्वोल्वमेंट की भागीदारी अप्रोच में अधिक रूचि ले रहे हैं । यू .के. तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुए व्यापक परिवर्तनों ने सहकारिता तथा पारस्परिक कारोबारी क्षेत्रों के महत्व को और बढ़ा दिया है क्योंकि ये कारपोरेट मूल्यों के अपने उच्च मानकों तथा सामूहिक दायित्व की दीर्घावधिक टिकाऊ नीतियों का पालन कर रहे हैं । इस बदले हुए वातावरण ने वैचारिक नेतृत्व के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान किया है बशर्ते कि यह लीडरशिप अनुभव पर आधारित, विश्वस्तरीय अनुसंधान तथा विश्लेषण से जुड़ी हो तथा इन क्षेत्रों की कार्यानिष्पादन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कठोर पाठ्यक्रमों के माध्यम से तैयार की गई हो ।

म्यूचुअल तथा कर्मचारियों के स्वामित्व वाले कारोबार के लिए ऑक्सफोर्ड सेंटर की मुख्य गतिविधियों में सहकारी तथा म्यूचुअल क्षेत्रों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा आवश्यकतानुसार बनाए गये छोटे पाठ्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान तथा व्यावसायिक विकास पर ध्यान दिया जाता है जिनके अंतर्गत सहकारिता तथा पारस्परिक क्षेत्रों की कारोबारी आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित किया । अनुप्रयुक्त ज्ञान के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध यह केन्द्र सम्मेलनों तथा सेमिनारों व अतिथि वक्तव्यों का आयोजन करता है तथा ऑक्सफोर्ड के भीतर तथा उसके बाहर नेटवर्किंग तथा भागीदारी को प्रोत्साहित करता है । इस केंद्र के लक्ष्य हैं :-

- सहकारिता क्षेत्र तथा म्यूचुअल क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन में अनुसंधान करना ।
- ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना जो संबद्ध कारोबार की आवश्यकताओं तथा इनके वर्तमान एवं भावी नेतृत्व के विकास के पूर्णतः अनुकूल हो ।
- सहकारिता तथा म्यूचुअलटी के बारे में चर्चा को प्रोत्साहित करना तथा नई सोच को आगे बढ़ाना।
- मौजूदा सहकारी तथा म्यूचुअल क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ कार्य करना ताकि शिक्षाविदों प्रैक्टिसिनरों और नीति निर्माताओं का एक वैश्विक नेटवर्क तैयार किया जा सके ।

REFERENCES

1. Resolution A/RES/64/136
2. These include: the conference 'Promoting the Understanding of Co-operatives for a Better World', co-organized by Euricse and the ICA in Venice (http://euricse.eu/en/news/venice-2012-final-declaration); the Dunsany Declaration for Rural Co-operatives (http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/Dunsany_Declaration_for_Rural_Co-operative_Development_FINAL.pdf); the Resolution of the International Cooperative Banking Association (http://2012.coop/en/media/library/member-publication/resolution-international-co-operative-banking-association-2012); the Declaration from the International Summit of Co-operatives in Quebec (http://www.2012intlsummit.coop/site/communication/declaration/en); the declaration from Imagine 2012 International Conference on Co-operative Economics (http://www.imagine2012.coop/wp-content/themes/twentyten/document/Declaration-Imagine2012%20ICA.pdf); and the Declaration from the International Health Co-operatives Forum (http://ihco.coop/2012/10/13/quebec-ihcf-2012-declaration/)
3. See ESPAS (2011) Global Trends 2030: Citizens in an Interconnected and Polycentric World (http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ESPAS_report_01.pdf)
4. As explained in chapter 3 below, we use "participation" as a short-hand for the unique co-operative approach through which individuals own their co-operative, and participate in its democratic governance
5. See the Statement on the Co-operative Identity on page 7
6. Cook, J., S. Deakin, J. Michie and D. Nash (2003), Trust Rewards: realising the mutual advantage, Mutuo, London; J. Michie and C. Oughton (2002), Employee Participation and Ownership Rights', Journal of Corporate Law Studies, Vol. 2, No. 1, pp. 143-159; J. Michie and C. Oughton (2003), HRM, Employee Share Ownership and Corporate Performance', Research & Practice in HRM, Vol. 11, Issue 1, pp. 15-36; J. Michie and M. Sheehan (1999), No Innovation without Representation? An analysis of participation, representation, R&D and innovation, Economic Analysis, Vol. 2, No. 2, pp. 85-97; and J. Michie and M. Sheehan (2005), Business Strategy, Human Resources, Labour Market Flexibility, and Competitive Advantage, International Journal of Human Resource Management, Vol. 16, No. 3, pp. 448-468; International Joint Project on Cooperative Democracy (1995) Making Membership Meaningful: Participatory Democracy in Cooperatives. Centre for the Study of Co-operatives, University of Saskatchean; Kurimoto, A. (2010) Changing Patterns of Member Participation. In Hasumi et al (eds.) Consumer Co-ops in Japan: Challenges and Prospects in Transitional Stage. Consumer Co-operative Institute of Japan, Tokyo.
7. J. Birchall &R Simmons (2009) Co-operatives and poverty reduction: evidence from Sri Lanka and Tanzania
8. Pateman, C. (1970) Participation and Democratic Theory, Cambridge: Cambridge University Press
9. Co-operatives UK: The UK's Co-operative Economy 2011 (http://www.uk.coop/sites/default/files/docs/the_co-operative_economy_2011.pdf)
10. ESPAS (2011) Global Trends 2030: Citizens in an Interconnected and Polycentric World (http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ESPAS_report_01.pdf)
11. Paul Mason (2012) Why it's kicking off everywhere: the new global revolutions
12. Cornel West, philosopher, academic and activist (http://www.democracynow.org/blog/2011/9/29/cornel_west_on_occupy_wall_street_its_the_makings_of_a_us_autumn_responding_to_the_arab_spring)
13. See R. Murray (2010) Co-operation in the Age of Google, P. Skinner (2012) Open Co-operation: Towards a Blueprint for a Co-operative Decade. R. Murray (2010) Co-operation in the Age of Google (http://www.uk.coop/ageofgoogle)
14. Pestoff, V.A.(1998) Beyond the Market and State: Social Enterprises and Civil Democracy in a Welfare Society; Aldershot, UK & Brookfield, NJ: Ashgate
15. R. Wilkinson & K. P. Pickett (2010) The Spirit Level; London & NY: Penguin
16. M. Porter & M. Kramer (2011) Creating Shared Value. Harvard Business Review, Jan-Feb 2011
17. The opening words of the definition in Wikipedia at http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability
18. J. Michie (2011), Promoting Corporate Diversity in the Financial Services Sector, Policy Studies, Vol. 32, Issue 4, pp. 309-23
19. See W. Lazonick & M. O'Sullivan (2000) Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate governance. Economy & Society, Vol. 29, No. 1, pp. 13-35
20. See H. Hesse & M. Chihak (2007) Co-operative Banks and Financial Stability, IMF; G. Ferri (2012) Credit Co-operatives: Challenges and opportunities in the new global scenario. EURICSE Working Paper No. 032/12. See H. Hesse & M. Chihak (2007) Co-operative Banks and Financial Stability, IMF http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0702.pdf ; G. Ferri (2012) Credit Co-operatives: Challenges and opportunities in the new global scenario. EURICSE Working Paper No. 032/12 http://euricse.eu/en/node/2044
21. See Ownership Commission (2012) Stewardship, Diversity & Plurality. (http://ownershipcomm.org/files/ownership_commission_2012.pdf)
22. See R. Putnam (2000) Bowling Alone; London & NY: Simon & Schuster

23. For Italian cases, see www.euricse.eu, For Japanese cases, see Pestoff V.A. (2008) A Democratic Architecture for the Welfare State, Chapter 7, Routledge; Kurimoto, A. (2003) 'Co-operation in Health and Social Care: Its Role in Building Communities', Mark Lyons and Samiul Hasan (Eds.) Social Capital in Asian Sustainable Development Management, Nova Science Publishers Inc, New York.

24. UN Resolution 56/114 adopted in December 2001 (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/114)

25. ILO Co-operative Branch (2012) Sustainable Energy Co-operatives (draft), Geneva

26. For reviews of some of these see G. Mulgan (2010) 'Measuring Social Value'. Stanford Social Innovation Review; New Philanthropy Capital (2012) Principles into Practice: How charities and social enterprises communicate impact.

27. See for example L. Saisset et al (2011) A Co-operative Performance Measurement Proposal, Working Paper Moisa 2011-3

28. J. Quarter et al. (2007) What Counts: Social Accounting for Nonprofits and Co-operatives, London: Sigel; Bouchard, M. J (2009) (ed.) The Worth of the Social Economy: An International Perspective. Brussels: Peter Lang.

29. Promoting the Understanding of Co-operatives for a Better World (March 2012)

30. Resolution adopted by the General Assembly on 19th December 2001, Co-operatives in social development, A/RES/56/114 following the Secretary-General's report on Co-operatives in social development distributed in May 2001

31. The ILO subsequently published revised Guidelines for the Co-operative Legislation by Hagen Henrÿ 2nd revised edition 2005 (http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094045/lang--en/index.htm)

32. It is also the basis of UN Resolution 56/114 urging governments and other relevant bodies to utilise and fully develop "the potential and contribution of co-operatives for the attainment of social development goals, in particular the eradication of poverty, the generation of full and productive employment and the enhancement of social integration.

33. This is the argument that has been made recently in the UK context by the Ownership Commission. See Ownership Commission (2012) Plurality, Stewardship & Engagement.

34. The example of the Norwegian government's successful case to the European Commission, that Aid to co-operatives was compatible with European State Aid legislation, provides a precedent for how the benefits of co-operatives can be explained to regulators.

35. Similar to the Competition Network for anti-trust regulators

36. ACI Americas (2009) Framework Law for the Co-operatives in Latin America (http://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/Libro_Marco_Leyes.pdf)

37. EURICSE Working Paper N. 024/12 New Study Group on European Co-operative Law: Principles Project (http://www.euricse.eu/en/node/1963)

38. EURICSE Working Paper N.023/12 Co-operative Identity and the Law, Antonio Fici (http://www.euricse.eu/en/node/1962)

39. Funding is also provided by Co-operative funding institutions including banks

40. See for example NCBA (2011) National Co-operative Investment Capital Fund Information Memorandum For Pre-Fund Working Capital

41. Webb and others (2010) Co-operative Capital: What it is and Why our World Needs it (http://euricse.eu/sites/euricse.eu/files/db_uploads/documents/1281102442_n626.pdf)

42. Whilst 10m bank accounts have left the largest US banks since 2010, following the Move Your Money campaign, US Credit Unions have enjoyed a surge in business as a result, so that 30% of the now population belong to co-operatively owned credit unions (increased from 89m in 2008 to 94m currently). [csmonitor.com: 'Co-operative businesses provide a new-old model for job growth' 02/04/2012] (http://www.csmonitor.com/World/Making-a-difference/Change-Agent/2012/0402/Cooperative-businesses-provide-a-new-old-model-for-job-growth)

PHOTOS

Front cover and pages 1, 21: Coop Italia

Pages 3, 14: Co-operative Group, UK

Pages 5-6, 19: Coop Sweden

Page 12: IFFCO (Indian Farmers Fertiliser Co-operative): Phulpur, Uttar Pradesh, India

Page 16: Midlands Co-operative, UK

Page 20: Eroski, Spain

Pages 23, 27, 33-34: Coop Nederland

Page 31: Desjardins, Canada

Pages 9, 35: Mondragon, Spain (@Lydie Nesvadba for CECOP - CICOPA Europe)

सहकारिता परिभाषा एवं सिद्धांत / सहकारिता की पहचान पर कथन

परिभाषा

सहकारी समिति व्यक्तियों की एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक आधार पर नियंत्रित उद्यम के जरिए अपनी समान्य, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।

मान / मूल्य

सहकारिताएं स्वयं-सहायता, स्व- उत्तरदायित्व, लोकतंत्र, समानता, समता और एकजुटता के मूल्यों पर आधारित हैं। अपने संस्थापकों की परंपरा का अनुसरण करते हुए सहकारिता के सदस्य ईमानदारी, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व और परहित चिंतन जैसे नैतिक मूल्यों का भी अनुसरण करते हैं.

सिद्धांत

सहकारी सिद्धांत वे मार्गदर्शिकाएँ हैं जिनके द्वारा सहकारिताएं अपने मूल्यों को व्यवहार में लाती हैं ।

1. स्वैच्छिक और खुली सदस्यता

सहकारिता समितियाँ ऐसे स्वैच्छिक संगठन हैं जो सभी लोगों के लिए खुले हैं जो उनकी सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ हैं और लैंगिक, सामाजिक, जातीय, राजनीतिक या धर्म के आधार पर भेदभाव किये बगैर सदस्यता के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार है ।

2. दूसरा सिद्धांत : लोक सदस्य-नियंत्रण

सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोक संगठन हैं जो उनकी नीतियाँ निर्धारित करने और निर्णय लेने में सक्रिय तौर पर भाग लेते हैं । चुने गये प्रतिनिधियों के रूप में कार्यरत पुरुष तथा महिलाएं अपने सदस्यों के प्रति जिवाबदेह होते हैं । प्राथमिक सहकारी समितियों में सदस्यों के मतदान करने के समान अधिकार होते हैं । (एक सदस्य, एक मत) और दूसरे स्तरों पर भी सहकारी समितियाँ लोक तरीके से आयोजित की जाती हैं ।

3. तीसरा सिद्धांत : सदस्य की आर्थिक भागीदारी

सदस्य समान रूप में अंशदान करते हैं और अपनी सहकारी समिति की पूंजी पर लोक तरीके से नियंत्रण रखते हैं । कम से कम इस पूंजी का एक हिस्सा आमतौर पर सहकारी समिति की सांझी सम्पत्ति होती है । सदस्यता की शर्त के रूप में अंशदान की गई पूंजी पर सदस्यों को आमतौर पर समिति प्रतिकर, यदि कोई हो मिलता है । सदस्य अधिकोषण पूंजी को निम्नलिखित किसी एक या सभी प्रयोजनों के लिए आवंटित करते हैं सम्भवतः आरक्षित निधियां स्थापित करके जिनका कम से कम एक भाग अभिभाज्य होगा, सहकारी समिति के साथ उनके लेन-देनों के अनुपात में सदस्यों को लाभ पहुंचाकर और सदस्यों द्वारा अनुमोदित अन्य कार्यकलापों में सहायता देकर अपनी सहकारी समिति का विकास करेगा ।

4. चौथा सिद्धांत : स्वायत्तता और स्वतंत्रता

सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वयं सहायता संगठन एवं स्वावलम्बी संस्थाएं होती हैं । यदि वे सरकार सहित अन्य संगठनों के साथ करार करती हैं अथवा बाहरी स्रोतों से पूंजी जुटाती हैं, तो वे ऐसा उन शर्तों पर करती है जिनसे उनके सदस्यों द्वारा लोक नियंत्रण सुनिश्चित होता हो और उनकी सहकारी स्वायत्तता भी बनी रहती हो ।

5. पांचवा सिद्धांत : शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना

सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों, चुने गये प्रतिनिधियों, प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है । ताकि वे अपनी सहकारी समितियाँ के विकास में कारगर योगदान कर सके । वे आम जनता विशेषरूप से युवाओं और परामर्शी नेताओं को, सहकारिता के स्वरूप और लाभों के बारे में जानकारी देती है ।

6. छठा सिद्धांत : सहकारी समितियों में परस्पर सहयोग

सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों की सर्वाधिक कारगर ढंग से सेवा करती है और स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए साथ-साथ काम करके सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ बनाती है ।

7. सातवों सिद्धांत : समुदाय के प्रति निष्ठा

सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के द्वारा अपने समुदायों के सतत विकास के लिए कार्य करती हैं ।